सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

भाजपा ने आयोग से कहा, कड़ाई से रोकें फर्जी वोटिंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में गुरुवार को मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा से भेंट की। मुलाकात के क्रम में भाजपा शिष्टमंडल ने प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित कर ही मतदान की अनुमति दिए जाने का आग्रह किया ताकि फर्जी वोटिंग को कड़ाई से रोका जा सके। मतदाता पर्ची घर-घर पहुंचाने का अनुरोध भी प्रदेश भाजपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से किया।

जनपथ स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात करते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी। साथ में मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह व जेपीएस राठौर • भाजपा

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय प्रदेश में भीषण गर्मी की संभावना है। ऐसे में मतदान स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था सहित मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए समुचित प्रबंध किए जाएं। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए वीलचेयर इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह, मोहित बेनीवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, सह प्रभारी हिमांशु दुबे, अखिलेश अवस्थी सहित अन्य शामिल थे।

समाचार पत्र का नाम दै० राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

लोस चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को भाजपा ने दिये सुझाव

लखनऊ (एसएनबी)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के

मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले भाजपा के नेता

उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को यहां निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंच कर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भेंट की।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कहा कि लोकसभा चुनाव के समय प्रदेश मे भीषण गर्मी की संभावना है। मतदान स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था सहित मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए समुचित प्रबन्ध किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित कर ही मतदान की अनुमति दिये जाने का आग्रह किया ताकि फर्जी वोटिंग को कड़ाई से रोका जा सके। प्रतिनिधिमंडल ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए विशेष रूप से सुविधा जैसे व्हीलचेयर इत्यादि का प्रबंध कराये जाने का भी आग्रह किया। मतदाता पर्ची घर-घर पहुंचे इसका भी अनुरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह, मोहित बेनीवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, सह प्रभारी हिमांशु दुबे, अखिलेश अवस्थी सहित अन्य प्रमुख नेता सम्मिलित थे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 हिन्दुस्तान, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

भाजपा ने की फर्जी मतदान कड़ाई से रोकने की मांग

लखनऊ। भाजपा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से हर हाल में फर्जी मतदान कड़ाई से रोके जाने की मांग की है। गुरुवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में मिले प्रतिनिधिमंडल ने मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित कर ही मतदान की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया।

लोकसभा चुनाव के समय प्रदेश में भीषण गर्मी की संभावना है। ऐसे में मतदान स्थलों पर पेयजल और मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए समुचित प्रबंध किए जाने की मांग की। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए विशेष रूप से सुविधा जैसे व्हील चेयर इत्यादि का प्रबंध कराने का भी आग्रह किया।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० स्वतंत्र भारत, लखनऊ .... दिनांक 29 MAR 2024

भाजपा का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला

स्वतंत्र भारत ब्यूरो, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को जनपथ लखनऊ स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंच कर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भेट की। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह, मोहित बेनीवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, सह प्रभारी हिमांशु दुबे, अखिलेश अवस्थी सहित अन्य प्रमुख नेता सम्मिलित थे। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कहा कि लोकसभा चुनाव के समय प्रदेश मे भीषण गर्मी की संभावना है। ऐसे में मतदान स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था सहित मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए समुचित प्रबन्ध किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित कर ही मतदान की अनुमति दिये जाने का आग्रह किया ताकि फर्जी वोटिंग को कड़ाई से रोका जा सके। प्रतिनिधि मंडल ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए विशेष रूप से सुविधा जैसे व्हीलचेयर इत्यादि का प्रबंध कराये जाने का भी आग्रह किया। मतदाता पर्ची घर-घर पहुंचे इसका भी अनुरोध किया गया। पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां को समाजवादी पार्टी द्वारा स्टार प्रचारकां की सूची में शामिल किये जाने को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गऐ सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अन्तर्कलह का शिकार है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उसे जनता जानती है। सपा ने आजम खां को स्टार प्रचांरक बनाया है, हो सकता है ये मुख्तार अंसारी को भी स्टार प्रचारक बना दें। इरफान सोलंकी को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है, प्रदेश की जनता सब जानती है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुकी है। उनके नेता राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव हारने के बाद पलायन कर गए। उनकी नेता प्रियंका वाड्रा भी 2022 के विधान चुनाव के बाद पलायन कर गयी। आज उत्तर प्रदेश मोदीमय है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी-योगी सरकार के कार्यों का लेखा-जोखा लेकर रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन बेमेल गठबंधन है, ये वैचारिक गठबंधन नहीं है। जिस प्रकार कांग्रेस का गठबंधन के प्रति इतिहास रहा है, पूरे देश व प्रदेश की जनता सब जानती है। सपा-कांग्रेस का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है जनता का गठबंधन मोदी और भाजपा से है हम उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर मोदी जी के नेतृत्व में विजयी होगें और एक बार फिर केन्द्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० आज, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

जनपथ स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भेंट करते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी , मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व अन्य।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० स्पष्ट आवाज, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमण्डल

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को जनपथ लखनऊ स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंच कर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह, मोहित बेनीवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, सह प्रभारी हिमांशु दुबे, अखिलेश अवस्थी सहित अन्य प्रमुख नेता सम्मिलित रहे। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कहा कि लोकसभा चुनाव के समय प्रदेश में भीषण गर्मी की संभावना है। ऐसे में मतदान स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था सहित मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए समुचित प्रबन्ध किए जाने का अनुरोध किया।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

भाजपा पदाधिकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की मुलाकात

भास्कर ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चैधरी के नेतृत्व में पार्टी के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को जनपथ लखनऊ स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंच कर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भेट की। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह, मोहित बेनीवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, सह प्रभारी हिमांशु दुबे, अखिलेश अवस्थी सहित अन्य प्रमुख नेता सम्मिलित थे।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कहा कि लोकसभा चुनाव के समय प्रदेश मे भीषण गर्मी की संभावना है। ऐसे में मतदान स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था सहित मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए समुचित प्रबन्ध किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित कर ही मतदान की अनुमति दिये जाने का आग्रह किया ताकि फर्जी वोटिंग को कड़ाई से रोका जा सके। प्रतिनिधि मंडल ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए विशेष रूप से सुविधा जैसे व्हीलचेयर इत्यादि का प्रबंध कराये जाने का भी आग्रह किया। मतदाता पर्ची घर-घर पहुंचे इसका भी अनुरोध किया गया।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ...अमृत विचार... दिनांक 29 MAR 2024

मतदान स्थलों पर हो पेयजल और धूप से बचने की व्यवस्था

- भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर रखा प्रस्ताव
- मतदाता पर्ची घर-घर पहुंचाने का भी किया अनुरोध

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को लखनऊ स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंच कर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की।

इस दौरान भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप रिणवा से कहा कि लोकसभा चुनाव के समय प्रदेश में भीषण गर्मी की संभावना है। ऐसे में मतदान स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था सहित मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए समुचित प्रबन्ध किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित कर ही मतदान की अनुमति दिए जाने का आग्रह किया ताकि फर्जी वोटिंग को कड़ाई से रोका जा सके।

प्रतिनिधिमंडल ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए विशेष रूप से सुविधा जैसे व्हीलचेयर इत्यादि का प्रबंध कराए जाने का भी आग्रह किया। मतदाता पर्ची घर-घर पहुंचे इसका भी अनुरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह, मोहित बेनीवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, सह प्रभारी हिमांशु दुबे, अखिलेश अवस्थी सहित अन्य प्रमुख नेता शामिल थे।

प्रदेश से पलायन कर चुकी कांग्रेस

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुकी है। उनके नेता राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव हारने के बाद पलायन कर गए। उनकी नेता प्रियंका वाड्रा भी 2022 के विधान चुनाव के बाद पलायन कर गयी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन बेमेल गठबंधन है, यह वैचारिक गठबंधन नहीं है।

राजधानी स्थित जनपथ सचिवालय में मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा से मुलाकात के लिए जाते प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी व मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। अमृत विचार

आजम को स्टार प्रचारक बनाया

आजम को स्टार प्रचारक बनाया : पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां को समाजवादी पार्टी द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किए जाने को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि सपा अन्तर्कलह का शिकार है, निश्चित रूप से सपा का जो चरित्र है उसे जनता जानती है। सपा ने आजम खां को स्टार प्रचारक बनाया है, हो सकता है ये अन्य ऐसे लोगों को भी स्टार प्रचारक बना दें। इरफान सोलंकी को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया जा सकता है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 हिन्दुस्तान टाइम्स, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

BJP delegation meets CEO

LUCKNOW: : Ahead of the Lok Sabha elections in the country, the Bharatiya Janata Party (BJP) delegation, led by party state unit president Bhupendra Singh Chaudhary, met Uttar Pradesh chief electoral officer (CEO), Navdeep Rinwa on Thursday.

While speaking to the media after the meeting, Chaudhary said, "We gave suggestions to increase the vote count in the upcoming polls. There must be proper arrangements keeping in mind that the elections will be held in summer. Proper water facilities must be there. The people who are 85 years old or above must be dealt with special care."

The delegation also urged the CEO to ensure that voters can exercise their franchise rights only after their identities have been verified, thus preventing bogus voting during the Lok Sabha election.

The BJP delegation comprised jal shakti minister Swatantra Dev Singh, minister of state (Independent Charge) for cooperatives JPS Rathore, state vice-president Dharmendra Singh, Mohit Beniwal, BJP state media In-charge Manish Dixit, co-in-charge Himanshu Dubey, and Akhilesh Awasthi.

HTC

प्रथम चरण : 71 नामांकन निरस्त

■ आठ सीटों में 84 नामांकन पत्र वैध पाये गये

लखनऊ (एसएनबी)। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण की आठ सीटों पर दाखिल 155 नामांकन पत्रों की जांच बृहस्पतिवार को की गयी। जांच के दौरान 71 नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया। अब इन सीटों पर 84 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। यह प्रत्याशी 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। उसी दिन चुनाव मैदान में शेष बचे प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किये जाएंगे। प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि सहारनपुर सीट से भरे गये 13 नामांकन पत्रों की जांच में 01 नामांकन अस्वीकृत हुआ। अब यहां 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह कैराना सीट से दाखिल 17 नामांकन पत्रों में जांच के बाद दो को निरस्त कर दिया गया। इस सीट से अब 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुजफ्फरनगर सीट पर सबसे ज्यादा 38 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे थे। यहां जांच के बाद 27 नामांकन पत्र निरस्त कर दिये गये अब यहां सिर्फ 11 प्रत्याशी ही मैदान में बचे हैं। इसी तरह बिजनौर सीट से दाखिल 23 नामांकन पत्रों में 12 अस्वीकृत कर दिये गये। यहां सिर्फ 11 नामांकन पत्र वैध पाये गये। उन्होंने बताया कि इसी तरह नगीना (सुरक्षित) सीट से दाखिल 12 नामांकन पत्रों में 06 निरस्त कर दिये गये, सिर्फ 06 नामांकन पत्र वैध पाये गये। मुरादाबाद सीट से दाखिल 18 नामांकन पत्रों में जांच के बाद 05 निरस्त कर दिये गये। यहां अब 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। रामपुर सीट से दाखिल 18 नामांकन पत्रों में 12 निरस्त हो गये। यहां सिर्फ 06 नामांकन पत्र वैध पाये गये। इसी तरह पीलीभीत से दाखिल 16 नामांकन पत्रों में 06 नामांकन पत्र निरस्त कर दिये गये। इस सीट से अब 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।

द्वितीय चरण के पहले दिन कोई नामांकन दाखिल नहीं

लखनऊ (एसएनबी)। लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर द्वितीय चरण की अधिसूचना बृहस्पतिवार को निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जारी कर दी गयी। इसके बाद द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश की 08 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो गया। हालांकि पहले दिन किसी भी सीट पर कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। द्वितीय चरण के प्रत्याशी 04 अप्रैल तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश की आठ सीटों में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर (सुरक्षित), अलीगढ़ व मथुरा के लिए चुनाव होना है। उन्होंने बताया कि पहले दिन किसी भी सीट से कोई प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करने नहीं आया है। इन सीटों के लिए प्रत्याशी 04 अप्रैल तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 05 अप्रैल को दाखिल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 08 अप्रैल को नामांकन पत्र वापसी के साथ चुनाव चिह्न आवंटन का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण की यूपी की इन सभी 08 सीटों पर 1.67 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 90.11 लाख पुरुष, 77.38 लाख महिला व 787 तृतीय लिंग के मतदाता हैं।

12 आवश्यक सेवाओं में लगे कार्मिक पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 12 सेवाओं के कार्मिक पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे। इनमें सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (आकस्मिक एवं एम्बुलेंस सेवा), डाक विभाग, यातायात पुलिस, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल कारपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड के ऐसे कार्मिक जो मतदान दिवस से सम्बन्धित ड्यूटी पर एवं मतदान दिवस की कवरेज के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधि को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गयी है।

समाचार पत्र का नाम दै० राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

प्रथम चरण में खत्म हुआ दोहरी ईवीएम का झंझट

■ रवीन्द्र प्रताप सिंह

लखनऊ। एसएनबी

लोकसभा चुनाव-2024 के प्रथम चरण की 08 सीटों पर दाखिल किये नामांकन पत्रों की जांच बृहस्पतिवार को पूरी होने के साथ 71 नामांकन पत्रों को निरस्त कर दिया गया। इसी के साथ प्रथम चरण में प्रत्येक मतदेय स्थल पर दोहरी ईवीएम लगाने का झंझट भी खत्म हो गया। इससे निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने राहत की सांस ली। यदि इतनी संख्या में नामांकन पत्र निरस्त न होते तो आठ में से पांच लोकसभा सीटों पर दोहरी बैलेट यूनिट लगती। इतना ही नहीं मुजफ्फरनगर सीट पर एक साथ तीन बैलेट यूनिट लगानी पड़ती।

■ 71 नामांकन पत्र अधिकारियों ने किया निरस्त

■ निरस्त न होने की दशा में 05 लोस सीटों पर लगती दोहरी बैलेट यूनिट

■ मुजफ्फरनगर में लगानी पड़तीं एक साथ 03 बैलेट यूनिट

प्रथम चरण की आठ लोकसभा सीटों के लिए 27 मार्च को आखिरी तिथि थी। अन्तिम तिथि तक इन सीटों के लिए 155 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इसमें मुजफ्फनगर में 38, बिजनौर में 23, मुरादाबाद व रामपुर में 18-18, कैराना में 17, पीलीभीत में 16, सहारनपुर में 13 व नगीना (सुरक्षित) सीट से 12 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। चूंकि एक बैलेट यूनिट में कुल 16 चुनाव चिह्न की ही व्यवस्था होती है और भारत निर्वाचन आयोग ने एक निशान नोटा (इसमें से कोई नहीं) के लिए भी रखा है। ऐसे में एक बैलेट यूनिट लगने की दशा में सिर्फ 15 प्रत्याशियों के ही चुनाव चिह्न शामिल किये जा सकते हैं। यदि प्रत्याशी 16 हो गये तो 17वें नम्बर पर आने वाले नोटा के लिए ही दूसरी बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह दूसरी बैलेट यूनिट लगने की दशा में 31 प्रत्याशियों को शामिल किया जा सकता है क्योंकि 32वें नम्बर पर नोटा को रखा जाएगा।

प्रथम चरण में नामांकन दाखिल होने के बाद जो स्थिति निकलकर सामने आयी उसके तहत मुजफ्फरनगर में 38 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिये। ऐसे में यहां एक साथ तीन बैलेट यूनिट लगानी पड़ती। इसके अलावा बिजनौर, कैराना, मुरादाबाद, रामपुर व पीलीभीत में भी दो-दो बैलेट यूनिट का प्रयोग करना पड़ता लेकिन जांच के बाद अधिकारियों ने 71 नामांकन पत्र निरस्त कर मामले को संभाल लिया और अब प्रथम चरण की किसी भी लोकसभा सीट पर दोहरी बैलेट यूनिट लगाना नहीं पड़ेगा।

मुजफ्फरनगर सीट के निर्वाचन अधिकारी ने तो इतनी बारीकी से जांच की कि 38 में 27 नामांकन पत्र निरस्त हो गये। यहां सिर्फ 11 नामांकन पत्र ही सही पाये गये। बिजनौर के निर्वाचन अधिकारी ने भी बारीकी से जांच कर 12 नामांकन पत्र निरस्त कर दिये और यहां भी सिर्फ 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे। इसी तरह रामपुर में 18 में 12, पीलीभीती में 16 में छह, मुरादाबाद में 18 में पांच, नगीना में 12 में छह, कैराना में 17 में दो व सहारनपुर में 13 में एक नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। इस तरह अब प्रथम चरण की आठों सीटों के प्रत्येक मतदेय स्थल पर सिर्फ एक ही बैलेट यूनिट प्रयोग होगी। अभी नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च है। यदि किसी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया तो यह संख्या और भी कम हो जाएगी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ......दै० डेली न्यूज, लखनऊ...... दिनांक 29 MAR 2024

यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की आठ सीट के लिए कुल 155 नामांकन में से 71 रद्द

● जांच में 84 नामांकन पत्र पाए गए वैध

लखनऊ (डीएनएन)। यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की आठ सीट के लिए दाखिल कुल 155 नामांकन पत्रों में से 84 नामांकन पत्र वैध पाए गए। जांच में 71 नामांकन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने गुरुवार को बताया कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में आठ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च थी।

उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 155 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा, नामांकन पत्रों की गुरुवार को जांच की गई जिसमें से 84 नामांकन वैध पाए गए। जांच में 71 नामांकन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशी 30 मार्च 2024 (शनिवार) तक नाम वापस ले सकते हैं। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सहारनपुर लोकसभा सीट के लिए 13 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, नामांकन पत्रों की जांच में एक नामांकन अस्वीकृत हुआ और बाकी 12 नामांकन पत्र वैध पाए गए। इसी तरह कैराना लोकसभा सीट के लिए 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, नामांकन पत्रों की जांच में दो नामांकन अस्वीकृत हुए और बाकी 15 नामांकन पत्र वैध पाए गए। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए 38 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, नामांकन पत्रों की जांच में 27 नामांकन अस्वीकृत हुए और बाकी 11 नामांकन पत्र वैध पाए गए।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी, 88 सीटों पर होगा चुनाव

नयी दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना गुरूवार को जारी कर दी। इस चरण में 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। बाहरी मणिपुर संसदीय सीट के 13 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी इसी चरण में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार बाहरी मणिपुर संसदीय सीट के 15 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए अधिसूचना पहले चरण के साथ की गयी थी। दूसरे चरण में मणिपुर की इस सीट के अलावा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 88 सीटों के लिए चुनाव कराया जायेगा। उम्मीदवार चार अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों में नामांकन पत्रों की जांच पांच अप्रैल को की जायेगी। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच 6 अप्रैल को की जायेगी। उम्मीदवार आठ अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ......अमृत विचार लखनऊ...... दिनांक 29 MAR 2024

आठ सीटों पर होगा मतदान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पहले चरण की आठ सीटों में पीलीभीत सीट के लिए 16 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच में छह नामांकन अस्वीकृत हुए और बाकी 10 नामांकन पत्र वैध पाये गये। सहारनपुर लोकसभा सीट के लिए 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें नामांकन पत्रों की जांच में एक नामांकन अस्वीकृत हुआ और बाकी 12 नामांकन पत्र वैध पाये गये। कैराना सीट के लिए 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जांच में दो नामांकन अस्वीकृत हुए। मुजफ्फरनगर सीट पर 38 में से 27 नामांकन अस्वीकृत हुए और बाकी 11 नामांकन पत्र वैध पाये गये। बिजनौर सीट पर 23 में से 12 नामांकन अस्वीकृत हुए। नगीना (अजा) सीट के लिए 12 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। छह नामांकन अस्वीकृत हुए और छह नामांकन पत्र वैध पाये गये।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ....दैनिक जागरण लखनऊ........ दिनांक ....29 MAR 2024

एसटी हसन व आजम के करीबी आसिम का नामांकन निरस्त

- दोनों ने सपा प्रत्याशी के रूप में कराया था नामांकन, दूसरों को आवंटित हुए थे चुनाव चिह्न
- आठ सीटों के लिए पहले चरण के चुनाव में 71 नामांकन निरस्त अब 84 प्रत्याशी मैदान में

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : आठ लोकसभा सीटों के लिए हो रहे पहले चरण के चुनाव में गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच में 71 नामांकन निरस्त हो गए हैं। अब 84 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। हालांकि प्रत्याशियों की असली तस्वीर 30 मार्च को नाम वापसी के बाद साफ होगी। जिनका नामांकन निरस्त हुआ है उनमें मुरादाबाद के सांसद डा.एसटी हसन व रामपुर में आजम खां के करीबी आसिम राजा शामिल हैं। दोनों ने सपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था जबकि अधिकृत चुनाव चिह्न दूसरे प्रत्याशियों के पास था।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पहले चरण के लिए बुधवार 27 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। आठ सीटों के लिए 155 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ 29 MAR 2024

समाचार पत्र का नाम दै0 नवभारत टाइम्स, लखनऊ दिनांक ....

एसटी हसन का पर्चा रद्द, बोले- प्रचार नहीं करूंगा

लखनऊ : चुनाव आयोग ने गुरुवार को जांच के बाद मुरादाबाद में सांसद एसटी हसन और रामपुर में आजम खां के करीबी आसिम राजा समेत 71 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए। पहले चरण की आठ सीटों पर 84 उम्मीदवार बचे हैं। पर्चा खारिज होने के बाद हसन ने मुरादाबाद में प्रचार से भी किनारा कर लिया।

हसन ने सपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था, लेकिन बाद में पार्टी ने रुचिवीरा को पर्चा भरवा दिया और उनकी उम्मीदवारी निरस्त करने के लिए आवेदन किया था। रामपुर में आसिम राजा का पर्चा पार्टी का फॉर्म ए व बी न होने के चलते निरस्त कर दिया गया। हसन ने कहा कि मैं न तो लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और न ही प्रचार करूंगा। मुरादाबाद को छोड़ अखिलेश जहां कहेंगे, वहां प्रचार करूंगा। (ब्यूरो)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

लोकसभा चुनाव : पहले चरण के लिए हुए नामांकन पत्रों की जांच में 84 वैध, 71 अस्वीकृत

कैराना में सर्वाधिक 15 व नगीना में छह नामांकन

भास्कर ब्यूरो

लखनऊ। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के पहले चरण की यूपी आठ सीटों पर हुए 155 नामांकन में से 71 अस्वीकृत हो गए हैं। 84 नामांकन वैध पाए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रथम चरण की 08 लोकसभा सीटों के लिए 27 मार्च को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। प्रथम चरण के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों के 155 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरा गया। प्रथम चरण के लिए भरे गये नामांकन पत्रों की बृहस्पतिवार को जांच की गयी। इसमें 84 नामांकन वैध पाये गये। जांच में 71 नामांकन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया। नाम वापसी के लिए 30 मार्च की तिथि तय है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण की 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहारनपुर लोकसभा सीट के लिए 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, नामांकन पत्रों की जांच में 01 नामांकन अस्वीकृत हुआ और बाकी 12 नामांकन पत्र वैध पाये गये। कैराना लोकसभा सीट के लिए 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच में 02 नामांकन अस्वीकृत हुए और बाकी 15 नामांकन पत्र वैध पाये गये। मुजफ्फरनगर सीट के लिए 38 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। यहां 27 नामांकन अस्वीकृत हुए और बाकी 11 नामांकन पत्र वैध पाये गये। बिजनौर लोकसभा सीट के लिए 23 प्रत्याशियों ने नामांकन

किया। नामांकन पत्रों की जांच में 12 नामांकन अस्वीकृत हुए और 11 नामांकन पत्र वैध पाये गये। नगीना (अ0 जा0) लोकसभा सीट के लिए 12 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। पत्रों की जांच में 06 नामांकन अस्वीकृत हुए और बाकी 06 नामांकन पत्र वैध पाये गये। मुरादाबाद लोकसभा सीट के लिए 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच में 05 नामांकन अस्वीकृत हुए और बाकी 13 नामांकन पत्र वैध पाये गये।रामपुर में 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया।

इसमें 12 अस्वीकृत हुए और 06 नामांकन पत्र वैध पाये गये।पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए 16 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। यहां भी 06 नामांकन अस्वीकृत हुए और बाकी 10 नामांकन पत्र वैध पाये गये।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्पष्ट आवाज, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

पहले चरण के लिए हुए नामांकन पत्रों की जांच में 84 वैध, 71 अस्वीकृत

● कैराना लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 15 नामांकन और नगीना में 06

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के पहले चरण की यूपी आठ सीटों पर हुए 155 नामांकन में से 71 अस्वीकृत हो गए हैं। 84 नामांकन वैध पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रथम चरण की 08 लोकसभा सीटों के लिए 27 मार्च को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। प्रथम चरण के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों के 155 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरा गया। प्रथम चरण के लिए भरे गये नामांकन पत्रों की बृहस्पतिवार को जांच की गयी। इसमें 84 नामांकन वैध पाये गये। जांच में 71 नामांकन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया। नाम वापसी के लिए 30 मार्च की तिथि तय है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण की 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहारनपुर लोकसभा सीट के लिए 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, नामांकन पत्रों की जांच में 01 नामांकन अस्वीकृत हुआ और बाकी 12 नामांकन पत्र वैध पाये गये। कैराना लोकसभा सीट के लिए 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच में 02 नामांकन अस्वीकृत हुए और बाकी 15 नामांकन पत्र वैध पाये गये। मुजफ्फरनगर सीट के लिए 38 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। यहां 27 नामांकन अस्वीकृत हुए और बाकी 11 नामांकन पत्र वैध पाये गये। बिजनौर लोकसभा सीट के लिए 23 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच में 12 नामांकन अस्वीकृत हुए और 11 नामांकन पत्र वैध पाये गये। नगीना (अ0जा0) लोकसभा सीट के लिए 12 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। पत्रों की जांच में 06 नामांकन अस्वीकृत हुए और बाकी 06 नामांकन पत्र वैध पाये गये। मुरादाबाद लोकसभा सीट के लिए 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच में 05 नामांकन अस्वीकृत हुए और बाकी 13 नामांकन पत्र वैध पाये गये। रामपुर में 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इसमें 12 अस्वीकृत हुए और 06 नामांकन पत्र वैध पाये गये। पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए 16 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। यहां भी 06 नामांकन अस्वीकृत हुए और बाकी 10 नामांकन पत्र वैध पाये गये।

पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे 12 आवश्यक सेवाओं में लगे कार्मिक

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के परिप्रेक्ष्य में 12 सेवाओं से जुड़े लोगों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा दी गयी है। उन्होंने बताया कि इसमें सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (आकस्मिक एवं एम्बुलेंस सेवा), डाक विभाग, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल कारपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड के ऐसे कार्मिक जो मतदान दिवस से सम्बन्धित ड्यूटी पर एवं मतदान दिवस की कवरेज हेतु आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधि शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 12 सेवाओं के कार्मिक मतदान दिवस के दिन ड्यूटी पर होने के कारण पोलिंग स्टेशन पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मतदान करने की स्थिति में न हों, उनके द्वारा फार्म-12डी भरकर और अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी से सत्यापित कराकर सम्बन्धित चरण/निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के 05 दिन के अंदर रिटर्निंग आफिसर के पास जमा किया जाएगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० इण्डियन एक्सप्रेस, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

PHASE-1 ELECTIONS: 71 NOMINATIONS REJECTED

Lucknow: The Election Commission has rejected 71 of 155 nominations filed for eight Lok Sabha seats of Uttar Pradesh that will go to polls in the first phase of elections, Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa said on Thursday.

Saharanpur, Kairana, Muzaffarnagar, Bijnor, Nagina, Moradabad, Rampur, and Pilibhit will vote in the first phase on April 19. Thirteen candidates filed nominations from the Saharanpur Lok Sabha seat. During scrutiny of nomination papers, one nomination was rejected and the remaining 12 nomination papers were found valid, the officer said.

Seventeen candidates filed nominations from the Kairana Lok Sabha seat. Two of these were rejected. In Muzaffarnagar, 38 candidates filed nominations, 27 were rejected while 11 were found valid. In Bijnor, 23 filed papers, 12 were rejected and 11 were found valid. Six of 12 nominations filed from the Nagina seat were rejected. In Moradabad, of the 18 papers filed, five were rejected, while 13 were found valid. In Rampur, 18 filed nominations, 12 of these were rejected and six were found valid. **PTI**

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 पॉयनियर, लखनऊ दिनांक [illegible]

Asim Raja's nomination from Rampur rejected

Rampur (PTI): The election office on Thursday rejected candidature of Asim Raja as Samajwadi Party's nominee from Rampur Lok Sabha seat on technical grounds. Muhibullah Nadvi had also filed his papers as the SP candidate on Wednesday, when the party declared him its official candidate.

District Magistrate Jogender Singh said that Raja's nomination paper was rejected as some documents were not attached to it.

Raja is considered close to senior SP leader and former minister Azam Khan.

He had unsuccessfully contested for the state assembly in a 2022 bypoll after Azam Khan was disqualified from the House, following a court verdict which sent him to three years in jail in a hate speech case.

Rampur Parliamentary seat saw a piquant situation for the SP as two persons claiming party's nominee filed nomination on the last day of nomination for the first phase of elections. Rampur will go to polls on April 19.

Nadvi is the imam of Parliament Street Jama Masjid in Delhi, had also filed nomination as SP candidate from Rampur on Wednesday.

Raja had also claimed himself to be the official SP candidate but the party later declared Nadvi as its official candidate.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 टाइम्स ऑफ इंडिया, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

Setback for Azam, EC rejects aides' nominations for Rampur

Kanwardeep.Singh
@timesgroup.com

Bareilly: The Election Commission (EC) on Thursday rejected nomination papers of senior SP leader Azam Khan's close aides, Asim Raja and Abdul Salam who wanted to contest from Rampur.

Raja and Salam had filed their papers as SP and independent candidates respectively, after the party declared Muhibullah Nadwi, an imam of a mosque in Delhi's Parliament Street, as its official candidate on the last day of poll nomination on Wednesday amid high drama. Muhibullah's papers were cleared even as about 12 candidates' nominations were cancelled by EC after scrutiny, said Rampur district magistrate Jogindra Singh.

"Eighteen nomination forms were submitted for the Rampur LS seat. Asim Raja failed to submit forms A and B which are provided by the party. Also, certain columns were left incomplete. He was asked to provide the necessary information, but he didn't respond. There was incomplete information in Abdul Salam's form as well," the DM added.

A section of the SP workers in Rampur were unhappy after the name of Nadwi, whom they labelled a "parachute candidate", was announced. Soon after, both Raja, a party functionary, and Salam, a former district panchayat president, filed their nomination, which many saw as an "act of defiance". Interestingly, on Thursday, Khan's name was fourth on the party's 'star campaigner' list.

TOI LINE OF NO CONTROL — SANDEEP ADHWARYU

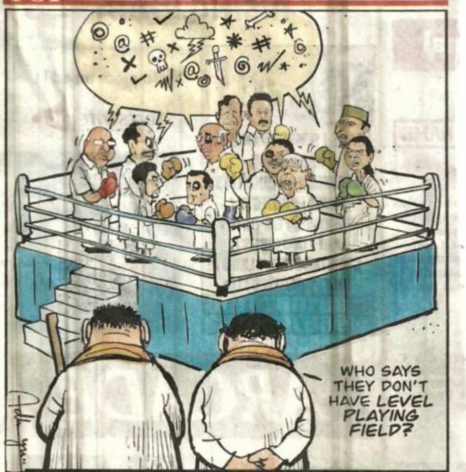

समाचार पत्र का नाम दै० हिन्दुस्तान, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

दूसरा चरण:पहले दिन कोई नामांकन नहीं

लखनऊ। दूसरे चरण में प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों पर नामांकन के पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में प्रदेश की अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर (सु.), अलीगढ़ तथा मथुरा की लोकसभा सीटों पर चुनाव सम्पन्न किया जाना है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

दूसरे चरण के लिए पहले दिन कोई नामांकन नहीं

लखनऊ : लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आठ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी हो गई। पहले दिन किसी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि द्वितीय चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर (अजा), अलीगढ़ और मथुरा की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव होगा। (राब्यू)

द्वितीय चरण के पहले दिन किसी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन

प्रथम चरण में भरे गये 71 नामांकन जांच में अस्वीकृत

प्रथम चरण की 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 27 मार्च को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी जिसमें विभिन्न राजनैतिक दलों के 155 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार प्रथम चरण के लिए भरे गये नामांकन पत्रों की बृहस्पतिवार को जांच की गयी इसमें 84 नामांकन वैध पाये गये जबकि जांच में 71 नामांकन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया। प्रथम चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों द्वारा 30 मार्च, शनिवार तक नाम वापसी की जा सकेगी। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा।

लखनऊ। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के द्वितीय चरण में 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए गुरुवार को निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो गयी है। इसके साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी हैं। यह जानकारी देते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आज किसी प्रत्याशी द्वारा नामांकन नहीं किया गया। इस चरण में भी नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे के मध्य किये जा सकेंगे। मुख्य मिर्वाचन अधिकारी ने बताया कि द्वितीय चरण में प्रदेश के 09 जिलों अमरोहा, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव सम्पन्न किया जाना है। द्वितीय चरण की 08 लोकसभा सीटों में 07 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 01 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण की 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1.67 करोड मतदाता हैं, जिसमें 90.11 लाख पुरूष मतदाता, 77.38 लाख महिला मतदाता तथा 787 थर्ड जेन्डर हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 7797 मतदान केन्द्र तथा 17677 मतदेय स्थल पोलिंग बूथ हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के द्वितीय चरण की 08 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 04 अप्रैल निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच 05 अप्रैल को की जायेगी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ....दै0 जन संदेश टाइम्स, लखनऊ.... दिनांक ....2 6 MAR 2024....

दूसरे चरण के यूपी की आठ सीटों के लिए नामांकन शुरू

अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को होगा चुनाव, नाम वापसी की अंतिम तिथि 8 अप्रैल

लखनऊ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के लिए गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। इनमें से 7 सीटें सामान्य श्रेणी की और एक सीट बुलंदशहर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 8 अप्रैल है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों के 1.67 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे, जिसमें 90.11 लाख पुरुष, 77.38 लाख महिला और 787 थर्ड जेंडर हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में

कुल 7797 मतदान केंद्र तथा 17,677 पोलिंग बूथ हैं। गौरतलब है कि पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार को खत्म हो गई। पहले चरण में 8 सीटों के लिए कुल 201 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर सीट से 45 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इसके अलावा सहारनपुर में 19, कैराना में 25, बिजनौर में 27 नगीना में 18, मुरादाबाद में 19, रामपुर में 23 और पीलीभीत में 25 प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन किया गया है। *एजेंसी*

इंडिया गठबंधन से अलग यूपी की आठ सीटों में लड़ेगी भाकपा, पांच में घोषित हुए प्रत्याशी

इंडिया गठबंधन में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) उत्तर प्रदेश में आठ सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी।

इंडिया गठबंधन में सुनवाई न होने पर पार्टी ने बृहस्पतिवार को पांच सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। तीन अन्य पर जल्द निर्णय होगा। साथ ही दुद्धी विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हालांकि अन्य सीटों पर वह भाजपा को हराने के लिए प्रचार करेंगे। पार्टी के राज्य मुख्यालय पर संयुक्त प्रेसवार्ता में यह जानकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व प्रदेश प्रभारी डॉ. गिरीश व राज्य सचिव अरविन्द राज स्वरूप ने दी।

यूपी में प्रथम चरण के लिए 155 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की आठ संसदीय क्षेत्रों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना (सुरक्षित), मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव-2024 के प्रथम चरण की आठ सीट के लिए बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पहले चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 155 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इससे पहले मंगलवार को 42 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था जबकि 22 मार्च को चार प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सहारनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इसी प्रकार कैराना लोकसभा सीट से 17 प्रत्याशियों ने, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से 38 प्रत्याशियों ने, बिजनौर लोकसभा सीट से कुल 23 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। रिणवा के मुताबिक, नगीना (अ.जा.) लोकसभा सीट से कुल 12 प्रत्याशियों ने,मुरादाबाद लोकसभा सीट से 18 प्रत्याशियों ने,रामपुर लोकसभा सीट से 18 प्रत्याशियों ने और पीलीभीत लोकसभा सीट से उप्र सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद समेत 16 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनाव के लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी की गई थी और 27 मार्च नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जायेगी और 30 मार्च को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ .... दिनांक 29 MAR 2024

आयोग के नेटवर्क से जुड़ीं 19 हजार बैंक शाखाएं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : चुनाव के दौरान बैंकों में होने वाले हर बड़े लेन-देन के साथ ही नकदी परिवहन पर भी निर्वाचन आयोग की निगाह होगी। इसके लिए आयोग ने विशेषतौर पर इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) पोर्टल बनाया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहयोग से इस पोर्टल पर प्रदेश के सभी बैंकों की 19 हजार से अधिक शाखाओं को जोड़ा गया है।

बैंकों से अपेक्षा की गई है कि चुनाव के दौरान एक लाख या उससे अधिक की नकद निकासी पर निगाह रखेंगे और संदेहास्पद निकासी की सूचना तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे। यदि निकासी 10 लाख रुपये से अधिक की है तो जिला निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना आयकर विभाग से साझा करेंगे। वहीं, बैंकों के नकदी परिवहन के लिए बैंक अधिकारी को ईएसएमएस पोर्टल से क्यू आर कोड जारी करना होगा। कोड को स्कैन कर पुलिस या जांच एजेंसी को नकदी की जानकारी मिल जाएगी। यदि नकदी का ब्योरा कोड की रसीद से मेल नहीं खाएगा तो राशि जब्त की जा सकती है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 आईनेक्स्ट, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

निर्वाचन आयोग के नेटवर्क से जुड़ी 19 हजार बैंक की शाखाएं

ईएसएमएस पोर्टल के जरिए बैंको के नकदी परिवहन पर भी होगी आयोग की नजर

बैंक हर बड़े लेन-देन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी से करेंगे साझा

LUCKNOW (28 March) : चुनाव के दौरान बैंकों में होने वाले हर बड़े लेन-देन के साथ ही नकदी परिवहन पर भी निर्वाचन आयोग की निगाह होगी. इसके लिए आयोग ने विशेषतौर पर इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) पोर्टल बनाया है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहयोग से इस पोर्टल पर प्रदेश के सभी बैंकों की 19 हजार से अधिक शाखाओं को जोड़ा गया है.

बैंक तत्काल दें सूचना

बैंकों से अपेक्षा की गई है कि चुनाव के दौरान एक लाख या उससे अधिक की नकद निकासी पर निगाह रखेंगे और संदेहास्पद निकासी की सूचना तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे. यदि निकासी 10 लाख रुपये से अधिक की है तो जिला निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना आयकर विभाग से साझा करेंगे. वहीं, बैंकों के नकदी परिवहन के लिए बैंक अधिकारी को ईएसएमएस पोर्टल से क्यू आर कोड जारी करना होगा. नकदी परिवहन करने वाला बैंककर्मी या एजेंसी के सदस्य को इस क्यूआर कोड को लेकर चलना होगा. जांच के दौरान क्यूआर कोड को स्कैन कर पुलिस या जांच एजेंसी को नकदी परिवहन की पूरी जानकारी मिल जाएगी. यदि परिवहन की जा रही नकदी का ब्योरा क्यूआर कोड की रसीद से मेल नहीं खाएगा तो राशि जब्त भी की जा सकती है.

लेन देन की जानकारी

चुनाव के दौरान इन शाखाओं में होने वाले हर बड़े लेन-देन की जानकारी पोर्टल के माध्यम से आयोग को तत्काल मिल सकेगी. यह पोर्टल बैंकों के नकदी परिवहन में भी करेगा मदद. बैंकों द्वारा नकदी परिवहन के लिए ईएसएमएस पोर्टल से क्यूआर रिसिप्ट जारी की जाएगी. चेकिंग हेतु रोके जाने पर क्यूआर कोड रिसिप्ट दिखाई जा सकेगी.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ....दै0 आईनेक्स्ट, लखनऊ.. दिनांक 28 MAR [illegible]

47 हजार 'फर्स्ट टाइम' वोटर्स तय करेंगे कौन बनेगा सांसद

53,000

अभी नए वोटर्स के लिए किया जा सकता है आवेदन, बढ़ सकती है और संख्या

47 हजार युवा पहली बार डालेंगे वोट

25401 युवा वोटर्स लखनऊ सीट पर

21838 युवा वोटर्स मोहनलालगंज सीट पर

39 लाख कुल वोटर्स डालेंगे वोट

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW (28 March): लोकसभा चुनाव में एक बार फिर युवा शक्ति अपना जोर दिखाएगी. अभी तक लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा की जो तस्वीर सामने आई है, उससे साफ है कि करीब 47 हजार फर्स्ट टाइम वोटर उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे. यह संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि नए वोटर्स के लिए 16 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है.निकाय चुनाव में हर वार्ड से करीब 2 से 3 प्रतिशत फर्स्ट टाइम वोटर्स सामने आए थे. जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया था. जोन छह, पांच, तीन, दो, एक की बात करें तो यहां युवा वोटर्स की संख्या 10 हजार से अधिक थी. वहीं अब लोकसभा चुनाव में इनकी संख्या में और इजाफा हो गया है.

किस विधानसभा में कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स

विधानसभा सीट	फर्स्ट टाइम वोटर्स
लखनऊ पश्चिम	5645
लखनऊ उत्तर	6404
लखनऊ पूर्वी	4448
लखनऊ मध्य	3602
लखनऊ कैंट	4302
कुल	25401

लखनऊ मध्य में सबसे कम फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं. लखनऊ पश्चिम सीट पर सर्वाधिक फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं.

यह भी जानें

1. वोटर लिस्ट में शामिल व्यक्ति को अगर अपने विवरण जैसे मोबाइल नंबर, एड्रेस इत्यादि में चेंज कराना है तो उसके लिए फॉर्म 8 भरना होगा.
2. निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के मामले में 8 (क)फॉर्म भरा जाता है.
3. वोटर हेल्पलाइन एप से भी आप वोटर लिस्ट में अपने नाम इत्यादि की जानकारी हासिल कर सकते हैं, संशोधन के लिए फॉर्म भी भर सकते हैं

मोहनलालगंज सीट पर फर्स्ट टाइम युवा वोटर्स

विधानसभा	फर्स्ट टाइम युवा वोटर्स
मोहनलालगंज	4145
मलिहाबाद	4177
बीकेटी	7266
सरोजनीनगर	6250
कुल	21838

नोट- बीकेटी में सबसे अधिक फर्स्ट टाइम युवा वोटर्स हैं, वहीं मोहनलालगंज में सबसे कम फर्स्ट टाइम युवा वोटर्स हैं.

लखनऊ और मोहनलालगंज में कुल वोटर्स

कुल पुरुष वोटर्स	2093283
कुल महिला वोटर्स	1859846
थर्ड जेंडर	158
कुल वोटर्स	3953287
कुल मतदान केंद्र	1545
कुल मतदेय स्थल	3766

कर रहे जागरूक

जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर वोटर्स को जागरुक करने के अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो स्कूलों-कॉलेजों में जाकर नए वोटर्स को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रही हैं.

"अब हमें भी वोट डालने का मौका मिलेगा. यह हमारे लिए बेहद खुशी का पल है. हर किसी को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए. अमन शर्मा

"लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि मेरा वोटर आईडी कार्ड कब बनकर आएगा. कार्ड आ गया है, मैं पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा. शशिकांत

"इंतजार रहता था कि मुझे कब वोट डालने का मौका मिलेगा. इस बार मेरा इंतजार खत्म हो रहा है और मुझे वोट डालने का मौका मिलने जा रहा है. अक्षदा मिश्रा

"घर के सभी मेंबर्स वोट डालने जाते थे लेकिन एज फैक्टर की वजह से मुझे वोट डालने का मौका नहीं मिलता था. इस बार इंतजार समाप्त हो गया है. पीहू अग्रवाल

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .... दै० आईनेक्स्ट, लखनऊ .... दिनांक ..... 29 MAR 2024

पुलिस को मिला 100 मी. की ऊंचाई से 2 किमी तक नजर रखने वाला ड्रोन

ये 'हवाई खबरी' सबसे अलग

PIC: DAINIK JAGRAN-I NEXT

ड्रोन का कई बार किया जा चुका है ट्रायल.

i SPECIAL

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW (28 March): लोकसभा चुनाव, आईपीएल, जुलूस और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए लखनऊ पुलिस के बेड़े में टि-थर्ड नाम का एक हाईटेक ड्रोन कैमरा शामिल हो गया है. इस ड्रोन में ऐसी दर्जनों खास बातें हैं जो अन्य ड्रोन से इसे अलग बनाती हैं. सबसे खास है कि यह ड्रोन आसमान से लगातार 20 घंटे उड़कर एक ही जगह से दो किलोमीटर के रेंज में निगरानी रख सकता है. इस ड्रोन के इस्तेमाल से पुलिस को कितना फायदा होगा? कितने का प्रोजेक्ट है? कैसे इस्तेमाल होगा? अन्य ड्रोन के मुकाबले अलग क्यों है? कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है? आइये डालते हैं इन तमाम पहलुओं पर एक नजर...

इसलिए किया गया शामिल

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विभाग के पास कई ड्रोन हैं, लेकिन इनके उड़ने की कैपेसिटी आधे से एक घंटे तक होती है. इसके बाद इसे चार्ज करना होता है, जिसकी वजह से कई बार कार्य में बाधा पड़ी थी. जिसे देखते हुए विभाग में हाई क्वालिटी ड्रोन को शामिल करने के लिए तकरीबन 40 लाख रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था. इसके तहत विभाग में टि-थर्ड ड्रोन को शामिल किया गया है. इसके शामिल होने से बड़े आयोजनों में कानून व्यवस्था को खतरा पैदा करने और माहौल बिगाड़ने वाले अराजकतत्वों को चिह्नित करना अब पुलिस के लिए और भी आसान हो जाएगा. इसका इस्तेमाल 30 मार्च को जुलूस और आईपीएल मैच से शुरू हो जाएगा.

पुलिस लाइन में हुआ सफल ट्रायल

यह ड्रोन जनरेटर से कनेक्ट वायर की मदद से तकरीबन 100 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है. जनरेटर नीचे एक मोबाइल ड्रोन व्हीकल (एमडीवी) बोलेरो गाड़ी में रखा होगा, जो इसे लगातार करंट सप्लाई करता रहेगा, एमडीवी सड़क पर ड्रोन के साथ चलती रहेगी. साथ ही ड्रोन से कार्यक्रम स्थल के आसपास का माहौल पुलिस कमिश्नर ऑफिसर, जेसीपी ऑफिस और पुलिस मुख्यालय से भी देखा जा सकेगा. यह ड्रोन सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट रहेगा. पुलिस लाइन ग्राउंड में इस ड्रोन का सफल ट्रायल किया जा चुका है. बता दें कि इस हाईटेक ड्रोन कैमरे की कीमत तकरीबन 40 लाख रुपये के आसपास है.

यहां-यहां होगा इस्तेमाल

- वोटिंग के दौरान
- फेस्टिवल सीजन पर
- आईपीएल मैचों में
- रमजान जुलूस
- चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था

यह भी जानिए

- कंट्रोल रूम से होगी निगरानी
- ऑटोमेटिक होगा ऑपरेट
- ड्रोन के लिए रिमोट की जरूरत नही
- एआई से किया जाएगा लैस
- जूम करने पर भी एचडी क्वालिटी रिकार्डिंग

"विभाग में सबसे हाईटेक ड्रोन कैमरे को शामिल किया गया है. हाल ही में पुलिस लाइन में इसका सफल ट्रायल भी किया गया. सुरक्षा के मद्देनजर शहर में होने वाले बड़े आयोजन जैसे आईपीएल, जुलूस समेत अन्य कार्यों के इस्तेमाल के लिए किया जाएगा. साथ ही भविष्य में इसे आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस से भी जोड़ा जाएगा, ताकि क्रिमिनल को पकड़ा जा सके. उपेंद्र कुमार अग्रवाल, जेसीपी, लॉ एंड ऑर्डर

नॉर्मल ड्रोन की खासियत

- **10** हजार रुपये से भी कम रेट से शुरुआत
- **1600** एमएएच की बैटरी
- **20** से 50 मीटर की फ्लाइंग हाइट
- **4** के वीडियो रिकार्डिंग
- **60** मिनट तक का बैटरी बैकअप

टि-थर्ड ड्रोन की खासियत

- **360** डिग्री का फिलप एक्शन
- **200** मीटर की फ्लाइंग हाइट
- **02** किलोमीटर की होती है इसकी रेंज
- **20** घंटे तक लगातार फ्लाइंग
- **30** लाख रुपये से स्टार्ट

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० पॉयनियर, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

Stress on transparent, fair election process

PNS ■ LUCKNOW

To ensure the smooth conduct of Lok Sabha elections, a meeting of master trainers was convened at Dr APJ Abdul Kalam Auditorium of the Collectorate. It was chaired by District Magistrate and District Election Officer Surya Pal Gangwar, who emphasised the importance of mutual coordination in conducting the elections in a free, fair, and transparent manner.

He underscored the responsibility of all attendees to possess comprehensive knowledge of the election process to facilitate transparent and fair elections. He outlined the training programme for master trainers, who will subsequently educate other election personnel and train polling staff on operating EVMs.

He stressed that the training of master trainers would be conducted in multiple phases, covering election procedures, polling booth setup, and other essential aspects of the electoral process.

Urging prompt training for polling personnel, Gangwar emphasised the importance of quality training and instructed officials to ensure basic facilities such as water, electricity, ramps, vehicles, and sanitation facilities are in place at polling stations well in advance.

The district election officer instructed master trainers to set up training panels in every room at the venue to disseminate comprehensive information about the Lok Sabha elections to polling officers.

He specified the installation of five EVMs in each room and outlined the training presentation to be divided into three phases: general, EVM operation, and common procedures. Additionally, he directed the appointment of a computer operator in each room. The meeting was attended by several officials, including the additional district magistrates (administration, east, judicial, LA1, LA2, and trans-Gomti), district development officer, basic education officer, district science officer, and representatives from relevant departments.

496 COMPLAINTS REGISTERED ON CVIGI: RINWA

Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa said that after the announcement of Lok Sabha election schedule, 496 complaints had been registered on the cVIGIL app in Uttar Pradesh till March 26.

He said while 272 complaints were found to be correct, 224 were found to be wrong. He said that all 496 complaints had been disposed of.

So far, the average time for disposal of complaints on cVIGIL app in the whole of Uttar Pradesh is 80 minutes, which is less than the stipulated time period of 100 minutes.

Chief Electoral Officer of Uttar Pradesh Navdeep Rinwa said that the Election Commission of India had developed cVIGIL mobile app to complain about violation of Model Code of Conduct.

Through this app, citizens can register complaints in various ways. cVIGIL mobile app can be downloaded from Google Play Store or App Store. Photographs, videos or audio related to violation of model code of conduct can be uploaded on cVIGIL mobile app. He said that action would be taken within 100 minutes of filing of complaint and there was no obligation for the complainant to give his/her name and mobile phone number to complain, but if the complainant complains with his name or mobile phone number, then he/she could see the action taken and the status of the complaint.

The chief electoral officer said that usually in the cVIGIL app, apart from complaints of distribution of money, gift coupon distribution, distribution of liquor etc., complaints related to putting up of posters, banners without permission, holding meetings without permission, using vehicles for campaigning without permission, making religious and fanatical speeches are registered.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० हिन्दुस्तान टाइम्स, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

Wheelchairs to toilets: Over 3.7K booths in Lko to have key facilities

Citizens aged 85 years and above can opt for vote-from-home facility

HT Correspondent
letters@htlive.com

Citizens can access form 12D on the Election Commission of India website to request postal ballots at home HT FILE PHOTO

IN STATE CAPITAL

Constituency	Booths
Sarojini Nagar	582
BKT	487
Lucknow East	417
Lucknow West	414
Malihabad	405
Mohanlalganj	399
Lucknow North	393
Lucknow Central	339
Lucknow Cantt	330

Compared to the previous elections, the number of voters has surged by 1.49 lakh.

LUCKNOW : As Lucknow braces for the 'celebration of democracy', the district administration is working towards equipping all polling booths with key facilities like drinking water, children's playing area, wheelchairs and toilets to cover every voter, especially the elderly and women.

"The administration has meticulously planned setting up of polling stations to ensure equitable access to polling across various constituencies," said Suryapal Gangwar, district electoral officer.

Citizens aged 85 years and above can access form 12D on the Election Commission of India website to request postal ballots at home, he said, adding: "Within five days of form issuance, booth level officers (BLOs) will pay a visit to assist in filling the form. Previously, this facility was for voters aged 80 and above." Form 12D is accessible on the ECI website's homepage under 'candidate nomination and other forms'.

This initiative aims to facilitate senior citizens by enabling them to vote from home.

Sarojini Nagar constituency leads with 582 booths, followed by BKT 487, Lucknow East 417, Lucknow West 414, Malihabad 405, Mohanlalganj 399, Lucknow North 393 and Lucknow Central 339 booths.

Notably, Lucknow Cantt has the least number of 330 booths allocated for voters participating in the upcoming Lok Sabha polls.

Elections 2024

Compared to the previous elections, the number of voters has surged by 1.49 lakh. In 2022 assembly elections, Lucknow boasted of 4,062 booths, but at that time the elections were held amid Covid scare and social distancing was a norm. However, during the Lok Sabha polls in 2024, the district administration has planned 3,767 booths, marking a notable reduction of 295 booths.

Gangwar said unlike the previous polls, when strict Covid protocols were enforced due to rapid spread of Omicron variant, this time around, no such guidelines are applicable.

During the previous elections, the Election Commission mandated a cap of 1200 voters per booth, leading to an increase in the number of booths to accommodate the rising voter turnout.

However, with the situation now different, the maximum number of voters per booth has been fixed at 1500, resulting in a reduction in the number of booths compared to 2022.

During the previous Vidhan Sabha elections, the total number of voters stood at 38,04,114, but now (Lok Sabha elections) the figure has climbed to 39,53,287, indicating a substantial increase of 1,49,173 voters in Lucknow.

This year, 14 polling stations have been established in high-rise buildings.

According to Gangwar, this decision has been taken due to the rapid expansion of the city and the population residing in newly constructed apartments.

A special campaign was launched to include these residents on the voter list to ensure inclusivity and accessibility in the electoral process.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० हिन्दुस्तान टाइम्स, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

Notification issued for phase 2, no papers filed on Day 1

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW : The Election Commission of India (ECI) on Thursday issued notification for the second phase of Lok Sabha election in eight Uttar Pradesh constituencies, including Amroha, Meerut, Baghpat, Ghaziabad, Gautam Buddh Nagar, Bulandshahr (SC), Aligarh and Mathura.

Uttar Pradesh chief electoral officer (CEO) Navdeep Rinwa said, "With notification, the process for nomination commenced in the eight constituencies. On the first day (Thursday), no nomination was filed in any constituency. The filing of the nominations can be made between 11 am and 3 pm."

The last date for filing papers for the second phase election is April 4. The scrutiny of nomination papers will be done on April 5 and the last date for withdrawal of nomination is April 8. Polling for the second phase will be held on April 26. The counting of votes in all the constituencies of Uttar Pradesh will be done on June 4.

Out of 8 Lok Sabha seats in the second phase, 7 are of general category while 1 is reserved for Scheduled Caste. The eight Lok Sabha constituencies are located in 9 districts. They are Amroha, Hapur, Meerut, Ghaziabad, Baghpat, Bulandshahr, Gautam Buddh Nagar, Aligarh and Mathura.

There are 1.67 crore voters in these 8 Lok Sabha constituencies. Of them, 90.11 lakh are male, 77.38 lakh female voters and 787 third gender electorate. There are a total 7,797 polling stations and 17,677 polling booths in the 8 constituencies.

THE DEMOGRAPHY OF VOTERS

- There are 1.67 crore voters in these 8 Lok Sabha constituencies. Of them, 90.11 lakh are male, 77.38 lakh female voters and 787 third gender electorate. There are a total 7,797 polling stations and 17,677 polling booths in the 8 constituencies.
- Out of 8 Lok Sabha seats in the second phase, 7 are of general category while 1 is reserved for Scheduled Caste. The eight Lok Sabha constituencies are located in 9 districts. They are Amroha, Hapur, Meerut, Ghaziabad, Baghpat, Bulandshahr, Gautam Buddh Nagar, Aligarh and Mathura.

12 सरकारी सेवाओं के कार्मिकों को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में 12 सरकारी सेवाओं के कार्मिकों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी गयी है।नवदीप रिणवा ने बताया कि जो 12 सरकारी विभाग इस सूची में शामिल किये गये हैं, उसमें सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (आकस्मिक एवं एम्बुलेंस सेवा), डाक विभाग, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल कारपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड शामिल है। इन विभागों के कार्मिकों को मतदान दिवस से सम्बन्धित ड्यूटी पर एवं मतदान दिवस की कवरेज के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गयी है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 12 सेवाओं के कार्मिक मतदान दिवस के दिन ड्यूटी पर होने के कारण पोलिंग स्टेशन पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मतदान करने की स्थिति में नहीं होंगे। उनके द्वारा फार्म-12 डी भरकर और अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी से सत्यापित कराकर सम्बन्धित चरण, निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर रिटर्निंग आफिसर के पास जमा किया जाएगा।

आचार संहिता के उल्लंघन में अब तक 18 पर एफआईआर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब तक 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अब तक सार्वजनिक व निजी स्थानों से कुल 43,46,148 प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई गई। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 26,49,931 व निजी स्थानों से 16,96,217 प्रचार-प्रसार सामग्री शामिल है। सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 2,90,493, पोस्टर के 12,28,502, बैनर के 7,67,280 व अन्य 3,63,656 मामलों में कार्रवाई की गई।

इसी प्रकार निजी स्थानों से वालराइटिंग के 2,16,293, पोस्टर के 7,79,559, बैनर के 4,46,366 व अन्य 2,53,999 मामलों में कार्रवाई की गई। वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 469 मामलों व लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 975 मामलों में कार्रवाई की गई। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने व अन्य मामलों में 18 एफआईआर व एक एनसीआर समेत कुल 19 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

देश में आदर्श आचार संहिता का हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन, कराया जा रहा कड़ाई से अनुपालन

• ब्यूरो प्रमुख

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1846 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित किये गये हैं। पुलिस विभाग द्वारा अब तक 4,22,330 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। इसके अलावा अपराधिक व्यक्तियों के 310 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 3,756 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 11,62,965 लोगों को पाबन्द किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 2,276 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 2,480 कारतूस, 06 किग्रा0 विस्फोटक व 110 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 406 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 55 केन्द्रों को सीज किया गया। साथ ही 119 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 171 कारतूस, 14 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 33 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 01 केन्द्रों को सीज किया गया।

पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे, 12 आवश्यक सेवाओं में लगे कार्मिक

ब्यूरो प्रमुख

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के परिप्रेक्ष्य में 12 सेवाओं यथा-सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (आकस्मिक एवं एम्बुलेंस सेवा), डाक विभाग, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल कारपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड के ऐसे कार्मिक जो मतदान दिवस से सम्बन्धित ड्यूटी पर एवं मतदान दिवस की कवरेज हेतु आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधि को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गयी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 12 सेवाओं के कार्मिक मतदान दिवस के दिन ड्यूटी पर होने के कारण पोलिंग स्टेशन पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मतदान करने की स्थिति में न हों, उनके द्वारा फार्म-12डी भरकर और अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी से सत्यापित कराकर सम्बन्धित चरण/निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के 05 दिन के अंदर रिटर्निंग आफिसर के पास जमा किया जाएगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 डेली न्यूज, लखनऊ दिनांक 23 MAR 2024

2276 अवैध शस्त्र, 2480 कारतूस, 6 किलो विस्फोटक व 110 बम बरामद

लखनऊ (डीएनएन)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जांच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1846 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित किए गए हैं। पुलिस विभाग द्वारा अब तक 422330 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए गए हैं। अपराधिक व्यक्तियों के 310 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किए गए हैं। 3756 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराए गए हैं। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 1162965 लोगों को पाबन्द किया गया।

समाचार पत्र का नाम दै0 डेली न्यूज, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

प्रचार में डिजिटल वैन के लिए कड़े नियम

- 172 डिजिटल वैन निर्वाचन आयोग ने चलाने की मंजूरी दी, 8 अनफिट गाड़ियों को नहीं मिली आयोग से अनुमति

लखनऊ (डीएनएन)। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रचार के लिए डिजिटल वैन को लेकर तय नियम और शर्तों का कड़ाई से पालन कर रहा है। पहले चरण में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग बिना देरी आवश्यक छानबीन के बाद अनुमतियां दे रहा है। चुनाव आयोग ने कई सख्त शर्तें भी रखी हैं। जैसे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी क्षेत्र में उम्मीदवार की फोटो या उसके नाम का उल्लेख किए बिना राजनीतिक दल वैन से प्रचार करता है तो इसका खर्च उसके खाते में जाएगा। उम्मीदवार का नाम या फोटो वैन पर प्रदर्शित है तो संबंधित प्रत्याशी के खाते में खर्च जोड़ा जाएगा। यदि वैन के साथ कोई चुनावी सभा भी की जानी है तो उसकी अलग से अनुमति जिला निर्वाचन से लेनी होगी।

लोकसभा चुनावः दूसरे चरण की आठ सीटों पर पहले दिन कोई नामांकन नहीं

लखनऊ (डीएनएन)। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों पर नामांकन के पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में प्रदेश की अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर सु., अलीगढ़ तथा मथुरा की लोकसभा सीटों पर चुनाव सम्पन्न किया जाना है। यह आठ लोकसभा सीटें प्रदेश के नौ जिलों अमरोहा, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा के अंतर्गत आती हैं।

पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में 12 सेवाओं यथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आकस्मिक एवं एंबुलेंस सेवा, डाक विभाग, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल कारपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड के ऐसे कार्मिक जो मतदान दिवस से संबंधित ड्यिूटी पर एवं मतदान दिवस की कवरेज के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधि को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई है।

873077 लाख की शराब, ड्रग व नगदी जब्त की गई : प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों ने एक से 27 मार्च तक 873077 लाख रुपए कीमत की मदिरा, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी आदि जब्त किया गया। 141743 लाख रुपए नकद, 2185.18 लाख की 611923.63 शराब, 3241.76 और 4475075.43 की ड्रग, 1778.18 लाख की बहुमूल्य धातुएं, 1.43 लाख के मुफ्त उपहार एवं 106.79 लाख रुपए की 646.21 अन्य सामग्री जब्त की गई है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० आज, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे आवश्यक सेवाओं में लगे कार्मिक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के परिप्रेक्ष्य में 12 सेवाओं यथा-सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आकस्मिक एवं एम्बुलेंस सेवा डाक विभाग, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल कारपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड के ऐसे कार्मिक जो मतदान दिवस से सम्बन्धित ड्यूटी पर एवं मतदान दिवस की कवरेज हेतु आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधि को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गयी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 12 सेवाओं के कार्मिक मतदान दिवस के दिन ड्यूटी पर होने के कारण पोलिंग स्टेशन पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मतदान करने की स्थिति में न हों, उनके द्वारा फार्म-12डी भरकर और अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी से सत्यापित कराकर सम्बन्धित चरण, निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के 05 दिन के अंदर रिटर्निंग आफिसर के पास जमा किया जाएगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .... दै0 आज, लखनऊ .... दिनांक .... 29 MAR 2024

आदर्श आचार संहिता का हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी। उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 01 मार्च से 27 मार्च तक 8730.77 लाख रूपये कीमत की मदिरा, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी जब्त किया गया। इसमें 1417.43 लाख रुपये नकद धनराशि, 2185.18 लाख रुपये कीमत की 611923.63 लीटर शराब, 3241.76 लाख रुपये कीमत की 4475075.43 ग्राम ड्रग, 1778.18 लाख रुपये कीमत की शामिल है।

समाचार पत्र का नाम दै0 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 1162965 लोग पांबद किये गये

लखनऊ (एसएनबी)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए अब तक प्रदेश में 1162965 लोग पाबन्द किये जा चुके हैं। इसी प्रकार वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 469 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट उल्लंघन के 975 मामलों में कार्यवाही की गयी। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने एवं अन्य मामलों में 18 एफआईआर व एक एनसीआर दर्ज की गयी।

- 8730.77 लाख रुपये कीमत की मदिरा, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी जब्त की गयी
- 1904 उड़न दस्ते और प्रवर्तन एजेन्सियों के 732 दल 24 घंटे निगरानी के लिए क्रियाशील

उन्होंने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नारकोटिक्स विभाग एवं अन्य एजेंसियों द्वारा कुल 8730.77 लाख रुपये कीमत की मदिरा, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी आदि जब्त की गयी। 27 मार्च को खीरी की पलिया विस क्षेत्र से 19.04 लाख रुपये कीमत की 2.64 किलोग्राम ड्रग व हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर विस क्षेत्र से 25.34 रुपये की नगद धनराशि पकड़ी गयी। सघन जांच के लिए 513 अन्तरराज्यीय चेक पोस्ट व 1846 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित किये गये हैं। प्रदेश स्तर पर 1904 उड़न दस्ते और प्रवर्तन एजेन्सियों के 732 दल 24 घंटे निगरानी के लिए क्रियाशील हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा 422330 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। अपराधिक व्यक्तियों के 310 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 3756 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। 2276 अवैध शस्त्र, 2480 कारतूस, 06 किग्रा विस्फोटक व 110 बम बरामद कर सीज किये गये। अवैध शस्त्र बनाने वाले 406 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 55 केन्द्रों को सीज किया गया। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 4346148 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 2649931 तथा निजी स्थानों से 1696217 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सहयोग करें : मिश्र

लखनऊ (एसएनबी)। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में लोकसभा आम. चुनाव, 2024 की तैयारियों के सम्बन्ध में अन्तरराज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें 9 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचाल प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान व दिल्ली के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सेजुड़े।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सम्बन्धित राज्यों के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक से लोक सभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सकशल सम्पन्न कराने में सहयोग करने की अपेक्षा की। सीमावर्ती जनपदों में ऐसी कोई गतिविधि न हो, जिससे आम चनाव प्रभावित हो। अवैध नकदी, अवैध शराब आदि के प्रवाह को रोकने के लिये सीमाओं पर निगरानी बढ़ानी होगी और कण्ट्रोल रूम के माध्यम से सूचनाओं का आपस में आदान-प्रदान करना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्तर्राज्यीय सीमाओं के आस-पास नशीले पदार्थों की तस्करी के विरूद्ध विशेष आभियान चलाया जाये। संवेदनशील व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष तौर पर निगरानी रखी जाये। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय माफिया और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाये।

अन्तरराज्यीय समन्वय बैठक में 9 राज्यों के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशकों ने किया प्रतिभाग

सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुये अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही की जाये। बार्डर एरिया से सम्बन्धित जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी व थानाध्यक्ष आपसी समन्वय बैठक कर लें। इसके अलावा निरन्तर संवाद बनाये रहें। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते है। पलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए प्रदेशभर में पलिस द्वारा प्रभावी रूप में निषेधात्मक कार्रवाई की जा रही है। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव राज्य कर नितिन रमेश गोकर्ण, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा, प्रमुख सचिव आबकारी श्रीमती वीना कुमारी मीना, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा सहित सम्बन्धित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० अमर उजाला, लखनऊ .... दिनांक 29 MAR 2024

सीमावर्ती जिलों में चुनाव प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर लगाएं रोक : मुख्य सचिव

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतरराज्यीय समन्वय बैठक बृहस्पतिवार को हुई। इसमें नौ राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान व दिल्ली के मुख्य सचिव व डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हिस्सा लिया। मुख्य सचिव ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में ऐसी कोई गतिविधि न हो, जिससे चुनाव प्रभावित हो। अवैध नकदी व शराब पर अंकुश के लिए सीमाओं पर निगरानी बढ़ानी होगी। सूचनाओं का आपस में आदान-प्रदान करना होगा। कहा कि संवेदनशील व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष तौर पर निगरानी रखी जाए। अंतरराष्ट्रीय माफिया और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाए। कहा कि बॉर्डर एरिया से संबंधित डीएम, पुलिस अधिकारी व थानाध्यक्ष समन्वय बैठक कर लें। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा, प्रमुख सचिव आबकारी वीना कुमारी मीना, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० डेली न्यूज, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

सोशल मीडिया पर निगरानी, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

लखनऊ (डीएनएन)। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारियों के संबंध में अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में 9 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचाल प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान व दिल्ली के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया। मुख्य सचिव ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक से लोक सभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने में सहयोग करने की अपेक्षा की। कहा सीमावर्ती जनपदों में ऐसी कोई गतिविधि न हो, जिससे आम चुनाव प्रभावित हो। अवैध नकदी, अवैध शराब आदि के प्रवाह को रोकने के लिए सीमाओं पर निगरानी बढ़ानी होगी और कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचनाओं का आपस में आदान-प्रदान करना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्तर्राज्यीय सीमाओं के आस-पास नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए। संवेदनशील व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष तौर पर निगरानी रखी जाए। कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही की जाए। बार्डर एरिया से संबंधित जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी व थानाध्यक्ष आपसी समन्वय बैठक कर लें। इसके अलावा निरन्तर संवाद बनाए रहें। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं।

- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारियों के संबंध में अंतरराज्यीय समन्वय बैठक संपन्न

पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रदेशभर में पुलिस द्वारा प्रभावी रूप में निषेधात्मक कार्रवाई की जा रही है। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव राज्य कर नितिन रमेश गोकर्ण, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा, प्रमुख सचिव आबकारी वीना कुमारी मीना, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .... दै0 आज, लखनऊ .... दिनांक 29 MAR 2024

मुख्य सचिव ने की चुनाव को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक

मुख्य सचिव ने लोक सभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने को लेकर की सहयोग की अपेक्षा

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में लोकसभा आम चुनाव, 2024 की तैयारियों के सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित हुयी। बैठक में 9 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचाल प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान व दिल्ली के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने सम्बन्धित राज्यों के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक से लोक सभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने में सहयोग करने की अपेक्षा की। सीमावर्ती जनपदों में ऐसी कोई गतिविधि न हो, जिससे आम चुनाव प्रभावित हो। अवैध नकदी, अवैध शराब आदि के प्रवाह को रोकने के लिये सीमाओं पर निगरानी बढ़ानी होगी और कण्ट्रोल रूम के माध्यम से सूचनाओं का आपस में आदान-प्रदान करना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्तर्राज्यीय सीमाओं के आस-पास नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध विशेष आभियान चलाया जाये। संवेदनशील व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष तौर पर निगरानी रखी जाये। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय माफिया और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाये।उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुये अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही की जाये। बार्डर एरिया से सम्बन्धित जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी व थानाध्यक्ष आपसी समन्वय बैठक कर लें। इसके अलावा निरन्तर संवाद बनाये रहें। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं।पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए प्रदेशभर में पुलिस द्वारा प्रभावी रूप में निषेधात्मक कार्रवाई की जा रही है।बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव राज्य कर नितिन रमेश गोकर्ण, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा, प्रमुख सचिव आबकारी वीना कुमारी मीना, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा सहित सम्बन्धित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 हिन्दुस्तान, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

चुनाव के दौरान निगरानी बढ़ाएं: मुख्य सचिव

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अन्तर्राज्यीय सीमाओं के आस-पास नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए। संवेदनशील व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष तौर पर निगरानी रखी जाए। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय माफिया और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाए। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों के संबंध में अन्तर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित हुई।

लोकसभा चुनाव से पूर्व 9 राज्यों के मुख्य सचिवों व डीजीपी अन्तर्राज्यीय समन्वय बैठक में हुए शामिल

स्वतंत्र भारत, ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में लोकसभा आम चुनाव, 2024 की तैयारियों के सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित हुयी। बैठक में 9 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचाल प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान व दिल्ली के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने सम्बन्धित राज्यों के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक से लोक सभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने में सहयोग करने की अपेक्षा की। सीमावर्ती जनपदों में ऐसी कोई गतिविधि न हो, जिससे आम चुनाव प्रभाविंत हो। अवैध नकदी, अवैध शराब आदि के प्रवाह को रोकने के लिये सीमाओं पर निगरानी बढ़ानी होगी और कण्ट्रोल रूम के माध्यम से सूचनाओं का आपस में आदान-प्रदान करना होगा ।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्तर्राज्यीय सीमाओं के आस-पास नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाये। संवेदनशील व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष तौर पर निगरानी रखी जाये। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय माफिया और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाये। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुये अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही की जाये। बार्डर एरिया से सम्बन्धित जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी व थानाध्यक्ष आपसी समन्वय बैठक कर लें। इसके अलावा निरन्तर संवाद बनाये रहें। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं । पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए प्रदेशभर में पुलिस द्वारा प्रभावी रूप में निषेधात्मक कार्रवाई की जा रही है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

नकदी, अवैध शराब रोकने के लिए बढ़ेगी निगरानी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लोक सभा चुनाव के मद्देनजर नकदी, अवैध शराब को रोकने के लिए प्रदेश की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। गुरुवार को नौ राज्यों के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक की आनलाइन बैठक में इस पर सहमति बनी।

सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने के साथ ही कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जाएगा। बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई।

समाचार पत्र का नाम: दैनिक जागरण लखनऊ   दिनांक: 29 MAR 2024

चुनाव से जुड़े मुकदमों में जुटाएं वैज्ञानिक साक्ष्य भी : डीजीपी

राब्यू, लखनऊ : चुनाव संबंधी अपराधों में गुणवत्तापरक विवेचना व कोर्ट में प्रभावी पैरवी को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने चुनाव से जुड़े मुकदमों में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जाने पर जोर दिया है। कहा कि चुनाव समाप्त होने के एक माह के भीतर ही विवेचना पूरी कर अभियोजन की कार्यवाही आरंभ की जाए। सभी जिलों में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

डीजीपी ने कहा कि चुनाव संबंधी अपराध में मुकदमा दर्ज होने के बाद बिना विलंब उच्च अधिकारी तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण करें और वीडियोग्राफी कराएं। घटना स्थल से जुटाए गए साक्ष्यों की विधिवत लिखापढ़ी किए जाने के साथ ही उसकी पैकिंग, सीलिंग व लेबलिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकार्डिंग व अन्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों का प्रमाणपत्र हासिल कर उन्हें समय से विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजा जाए। एफएसएल की रिपोर्ट समय से प्राप्त कर उसे विवेचना में शामिल किया जाए। वादी के समय से बयान दर्ज किए जाने के साथ ही मारपीट जैसे अपराधों में पीड़ित का समय से मेडिकल कराए जाने व विवेचना संबंधी अन्य सावधानियां बरते जाने का निर्देश भी दिया।

CS: Tight vigil to check flow of liquor in polls

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: A meeting on interstate coordination for the 2024 Lok Sabha polls was held under the chairpersonship of UP chief secretary DS Mishra on Thursday where it was discussed how to reduce the flow of illegal funds and liquor across state borders during the upcoming elections.

The meeting was attended by the chief secretaries and DGPs of Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan and Delhi.

During the meeting, Mishra stressed upon the need to hold peaceful elections and said border districts should ensure that nothing untoward happens to disturb the elections. "The flow of illegal money and liquor should be stopped for which monitoring of the borders must be increased. Information should be passed on between states through a control room," he said.

The CS said a special campaign against drugs should be carried out in UP near the international border. Attention must be given to sensitive and Naxal affected areas, while international mafia and anti-social elements must be on the police radar.

He added that social media must be monitored and strict action taken against anyone found involved in rumour-mongering. Coordination should be established between DMs, police officials in border areas. They could also create Whatsapp groups for better coordination.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .... दै0 तरूण मित्र .... दिनांक ....29 MAR 2024

चुनावी माहौल में ताबड़तोड़ अभियान, मदिरा, ड्रग व नकदी जब्त

- 27 मार्च को 121.20 लाख रुपये कीमत की मदिरा व बहुमूल्य धातुएं पकड़ी गईं
- बोले सीईओ, आबकारी, आयकर, पुलिस व नार्कोटिक्स की टीमें कर रहीं कार्रवाई

लखनऊ, 28 मार्च (तरुणमित्र)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 1 मार्च से 27 मार्च तक कुल 8730.77 लाख रुपए कीमत की मदिरा, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी आदि जब्त किया गया।

इसमें 1417.43 लाख रुपये नकद धनराशि, 2185.18 लाख रुपये कीमत की 611923.63 लीटर शराब, 3241.76 लाख रुपये कीमत की 4475075.43 ग्राम ड्रग, 1778.18 लाख रुपये कीमत की 39163.86 ग्राम बहुमूल्य धातुएं, 1.43 लाख रुपये के 298 मुफ्त उपहार एवं 106.79 लाख रुपये कीमत की 646.21 अन्य सामग्री जब्त की गयी। आगे बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 27 मार्च को कुल 121.20 लाख रुपए कीमत की मदिरा, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी आदि जब्त किया गया। इसमें 31.35 लाख रुपये नकद धनराशि, 52.78 लाख रुपये कीमत की 19920.53 लीटर शराब, 36.57 लाख रुपये कीमत की 18196.55 ग्राम ड्रग एवं 0.50 लाख रुपये कीमत की 08 अन्य सामग्री जब्त की गयी। 27 मार्च को प्रमुख जब्ती में जनपद खीरी की पलिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 19.04 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 2.64 किग्रा. ड्रग, जनपद हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 25.34 लाख रुपये नगद धनराशि पकड़ी गयी।

अवैध शस्त्र के 460 अड्डों पर पुलिस की रेड

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स और अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही। सघन जांच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1846 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित किये गये हैं। पुलिस विभाग द्वारा अब तक 4,22,330 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। इसके अलावा अपराधिक व्यक्तियों के 310 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 3,756 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। पुलिस विभाग द्वारा 2,276 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 2,480 कारतूस, 06 किग्रा0 विस्फोटक व 110 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 406 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 55 केन्द्रों को सीज किया गया।

पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान

नवदीप रिणवा ने बताया कि 12 सेवाओं यथा-सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (आकस्मिक एवं एम्बुलेंस सेवा), डाक विभाग, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल कारपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड के ऐसे कार्मिक जो मतदान दिवस से सम्बन्धित ड्यूटी पर एवं मतदान दिवस की कवरेज हेतु आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधि को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गयी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 12 सेवाओं के कार्मिक मतदान दिवस के दिन ड्यूटी पर होने के कारण पोलिंग स्टेशन पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मतदान करने की स्थिति में न हों, उनके द्वारा फार्म-12डी भरकर और अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी से सत्यापित कराकर सम्बन्धित चरण/निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर रिटर्निंग आफिसर के पास जमा किया जाएगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ....दै0 हिन्दुस्तान, लखनऊ.... दिनांक ....29 MAR 2024....

शिक्षामित्र, अनुदेशक भी लगेंगे चुनाव ड्यूटी में

लखनऊ। लोकसभा चुनाव के दौरान शिक्षामित्र, अनुदेशक व अन्य समकक्ष संविदा कर्मी भी चुनाव ड्यूटी में लगाए जाएंगे। इस बारे में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर ने निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि नियमित कार्मिकों, मण्डलीय पूल से प्राप्त कार्मिकों के पूरी तरह इस्तेमाल के बाद ही प्रस्तावित संविदा कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकेगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

शिक्षामित्र भी करेंगे ड्यूटी

लखनऊ : लोकसभा चुनाव में 1.48 लाख शिक्षामित्र व 26 हजार अनुदेशक भी ड्यूटी करेंगे। अन्य संविदा कर्मियों की तरह इन्हें भी आरक्षित पूल में रखा गया है। सभी नियमित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो ही इन्हें ड्यूटी पर लगाया जाएगा। उप्र के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर की ओर से इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। (राब्यू)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० अमर उजाला, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

कम होने पर संविदाकर्मियों और शिक्षामित्रों की लगेगी चुनाव में ड्यूटी

लखनऊ। चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोकसभा चुनाव में नियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता पर चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। नियमित कर्मचारियों व मंडलीय पूल के कर्मचारियों की संख्या कम होने पर ही शिक्षा मित्रों व संविदाकर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। जहां तक संभव हो संविदाकर्मियों को आरक्षित पूल में रखा जाएगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को मतदान अधिकारी द्वितीय व अन्य संविदाकर्मियों को मतदान अधिकारी तृतीय के रूप में लगाया जाएगा। बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने मांग की है कि शिक्षामित्रों की ड्यूटी आरक्षित वर्ग के बजाय कंफर्म रूप में सुनिश्चित किया जाए। ब्यूरो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ....दैनिक जागरण लखनऊ........ दिनांक ...29 MAR 2024...

चुनाव में धनबल

सांविधानिक संस्थाएं यदि किसी विषये पर गंभीर चिंता जताती हैं तो इसके व्यापक निहितार्थ होते हैं। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आयोग ने चुनाव में धनबल के प्रयोग पर चिंता जताई थी और यह भी आश्वस्त किया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए इस पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा लेकिन पहले चरण का नामांकन खत्म होने तक 13.67 करोड़ रुपये नकदी और 85.90 करोड़ की शराब का बरामद होना यह साबित करता है कि फिलहाल ऐसी कोशिशें जारी हैं। यह अलग बात है कि आयोग की सख्ती की वजह से ऐसा करने वालों का उद्देश्य पूरी तरह सफल नहीं हो रहा है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल का प्रयोग करने की कोशिशें किया जाना न सिर्फ चिंता की बात है बल्कि लोकतंत्र के लिए भी घातक है। कोई उम्मीदवार यदि मतदाताओं को धन या कोई वस्तु देकर प्रभावित करने का प्रयास करता है तो इसका मतलब है कि या तो उसका स्वयं पर विश्वास नहीं है या फिर उसकी छवि ठीक नहीं है।

मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल का प्रयोग करने की कोशिशें किया जाना न सिर्फ चिंता की बात है बल्कि लोकतंत्र के लिए भी घातक है।

राज्य में चुनाव आयोग की सख्ती का ही असर है कि अब तक आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नारकोटिक्स समेत 21 विभागों ने 85.90 करोड़ की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नकदी जब्त की है जो 2019 के चुनाव में हुई बरामदगी का लगभग 44 प्रतिशत है। इसका आशय यह है कि इस बार धनबल के उपयोग की कोशिशें अधिक हो रही हैं क्योंकि अभी तो चुनाव की शुरुआत ही हुई है। उम्मीदवार और उनके समर्थक विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रभाव में लेने के लिए शराब और नशीले सामानों को वितरित करते हैं और इसीलिए सीमावर्ती राज्यों से इनकी तस्करी भी की जाती है। मतदाताओं को लालच देना या डराना आइपीसी की धारा 171 ख और 172ग के तहत अपराध है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत भी इन गतिविधियों को भ्रष्ट आचरण माना गया है। इसलिए यह मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि किसी के बहकावे में न आएं और स्वतंत्र होकर मतदान करें।

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ दिनांक 2 3 MAR 2024

एक वोट से ही रखी जाती है स्वस्थ लोकतंत्र की नींव

डीएम ने रेहली विशुनपुर व गौहनिया मे लगाई मतदाता जागरूकता चौपाल

भास्कर ब्यूरो

श्रावस्ती। लोकसभा चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान कराने के उद्देश्य से हरिहरपुररानी ब्लाक अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय रेहली विशुनपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम ने गांव की महिलाओं, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं ग्राम वासियों से संवाद कर उन्हें स्वयं मतदान करने व दूसरों को भी मतदान कराने हेतु अपील की। डीएम ने लोंगों को मतदाता शपथ भी दिलाई।

डीएम ने कहा कि निर्वाचन में प्रत्येक मतदाता को अपने अमूल्य मताधिकार का उपयोग करना आवश्यक है। क्योंकि एक-एक मत अमूल्य है और एक वोट से ही अच्छे लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है। इसलिए सभी मतदातागण अनिवार्य रूप से मतदान करके राष्ट के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभायें। उन्होने बताया कि 18 वर्ष तक के सभी व्यक्तियों चाहे वह महिला अथवा पुरूष कोई भी हो, मताधिकार का अधिकार है। इसलिए सभी लोग निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन में आए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है अथवा छूट गया तो नाम मतदाता सूची में डलवा दें। जिससे उन्हें मतदान के समय कोई दिक्कत न होने पाये। एसडीएम भिनगा पीयूष जायसवाल, बीडीओ हरिहरपुररानी जयप्रकाश सहित सम्बन्धित बूथ के बीएलओ, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां, महिलाएं एवं मतदाता उपस्थित रहे। इसके बाद डीएम ने गिलौला ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय गौहनिया में भी मतदाता जागरूता चौपाल लगाकर लोगों को शत-प्रतिशत मतदान हेतु जागरूक किया। बीडीओ गिलौला गौरव पुरोहित, बीडीओ हरिहरपुररानी जय प्रकाश सहित सम्बन्धित बूथ के बीएलओ, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां, महिलाएं मौजूद रही।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ दिनांक 26 MAR 2024

मतदाता पहचान पत्र के अभाव में मतदाताओं को दिया गया बारह विकल्प

हर्रैया, बस्ती। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया है कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि कुल 12 पहचान दस्तावेज यथा-आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरो द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक लाना होगा। उन्होने बताया कि एपिक में प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियों को नजर अन्दाज कर देना चाहिये, बशर्तें मतदाता की पहचान एपिक द्वारा सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ .... दिनांक 29 MAR 2024

डीएम ने किया इलेक्शन कंट्रोल रूम का निरीक्षण

भास्कर ब्यूरो

देवरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने आज लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर सी-विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की कार्यप्रणाली एवं गुणवत्ता को परखा। सी-विजिल एप पर आदर्श आचार संहिता से जुड़ी 10 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनका समयबद्ध निस्तारण करा दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सी-विजिल एप नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े प्रकरणों की शिकायत करने के लिए सशक्त करता है। इसमें शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनाये रखने का प्रावधान है। कोई भी नागरिक सी-विजिल एप को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकता है। यदि किसी नागरिक को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता दिखे तो एप

• सी-विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता परखी

में मौजूद कैमरे से तस्वीर खींचनी होगी। जीपीएस कैमरे से लैस सी-विजिल एप से मौके की रियल टाइम तस्वीर, वीडियो एवं ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए चुनाव आयोग ने सौ मिनट की समयावधि निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि जनपद में बरहज, देवरिया सदर, पथरदेवा, रुद्रपुर एवं रामपुर कारखाना से पोस्टर-बैनर से जुड़ी शिकायते प्राप्त हुई हैं, जिनका निस्तारण करा दिया गया। अभी तक प्राप्त सभी शिकायतों के निस्तारण की औसत समयावधि 62 मिनट है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपदवासियों से सी-विजिल एप के अधिक से अधिक उपयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सी-विजिल एप डिजिटली सशक्त व जागरूक मतदाता की पहचान है। कंट्रोल रूम प्रभारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्णकांत राय से अब तक प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की एवं अभिलेखों का अवलोकन किया। इस दौरान सीडीपीओ दयाराम सहित विभिन्न अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद थे।

जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त व सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए जनपद की सीमान्तर्गत स्थित सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए तीन-तीन उड़न दस्ता टीमों का गठन किया गया है जो शिफ्टवार भ्रमणशील रहते हैं।

आयोग का एप डाउनलोड कर मिलेगी मतदान की विस्तृत जानकारी : एमपी सिंह

भास्कर ब्यूरो

हरदोई। पुलिस लाइन से आयोजित स्वास्थ्य विभाग की विशाल मतदाता जागरूकता रैली को गुरुवार डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया उन्होंने स्वयं मतदाता जागरूकता रैली के साथ नगर का भ्रमण कर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। रैली पुलिस लाइन से प्रारम्भ होकर अस्पताल रोड, सिनेमा चौराहा, बड़ा चौराहा एवं नुमाईश चौराहा होते हुए गांधी भवन परिसर में समाप्त हुई।

गांधी भवन में उपस्थित एमओआईसी, एएनएम एवं आशाओं को मतदान करने की शपथ दिलाते हुए डीएम ने कहा कि स्वच्छ एवं मजबूत लोकतंत्र की स्थापना के लिए आगामी 13 मई को मतदान अवश्य करें और अपने गांव, मोहल्ले एवं आस-पास के मतदाताओं को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। कहा कि अधिक जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एप डाउनलोड कर मतदान की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। कहा मतदान सभी का अधिकार है अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए तत्काल निर्वाचन आयोग की बेवसाइट पर ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन करें। रैली में एसपी केसी गोस्वामी, सीडीओ सौम्या गुरूरानी, सीएमओ डॉ. रोहताश कुमार, डीडी कृषि डॉ. नन्द किशोर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

● मतदाताओं की जागरूकता रैली निकाल दिलाई गई शपथ

ब्लॉक में गुरुवार को मुजाहिपुर के प्रथमिक विद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान की रैली बीडीओ डॉ. रामप्रकाश के नेतृत्व में निकालकर जागरूक किया व मतदान करने की शपथ दिलाई गई। रैली में सचिव आनन्द सिंह, स्नेह सिंह, निरुपमा, अमित यादव सहित शिक्षक शिक्षिकाएं अभिभावक उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंचीं कमिश्नर, दिए निर्देश

विधानसभा क्षेत्र पलिया के सुदूरवर्ती मतदान केन्द्र का लिया जायजा

● कम मतदान के कारकों का तत्काल कराए समाधान, मतदान केन्द्रों पर आयोग की मंशानुरूप हो व्यवस्थाएं : आयुक्त

भास्कर ब्यूरो

गौरीफंटा, पलिया खीरी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से जनपद भ्रमण कार्यक्रम पर खीरी पहुंची आयुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ डॉ रोशन जैकब ने दूसरे दिन गुरुवार को तहसील पलिया के दूरस्थ मतदान केन्द्र प्राथमिक विद्यालय गौरीफंटा सहित ग्राम सरियापारा, ग्राम सूडा के मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं का जायज़ा लिया।

मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने मतदाताओं के बीच स्वयं मतदाता सूची में लिखे नामों को पढ़कर सुनाया तथा ग्रामवासियों से पढ़े गये नामों के बारे में जानकारी प्राप्त की। बूथ लेबिल अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम से बाहर रह रहे मतदाताओं के मोबाइल नम्बर पर एसएमएस भेजकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाय। आयुक्त ने गौरीफंटा थाना क्षेत्र के ग्राम सरियापारा, ग्राम सूडा के मतदेय स्थलों के निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद कर मतदान दिवस (13 मई) को शत प्रतिशत मतदान का संकल्प दिलाया। इसके बाद उन्होंने चंदन चौकी बॉर्डर पर सब पुलिस राजस्व टीम के साथ फॉरेस्ट एरिया में पैदल मार्च किया।

कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान मतदान केन्द्रों पर सामान्य सूचनाओं एवं टोल फ्री नम्बर 1950 का अंकन, विद्युत कनेक्शन, लाईट व पंखों की उपलब्धता, मतदेय स्थल पर शौचालय, जलापूर्ति की स्थिति, मतदेय स्थल पर शुद्ध पेयजल, स्थापित हैण्डपम्प की क्रियाशीलता, मतदेय स्थल/विद्यालय की साफ-सफाई, रैम्प, मतदान केन्द्र पर नेटवर्क की उपलब्धता, कन्ट्रोल रूम का नम्बर, फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र वितरण, रूट चार्ट तथा कम्यूनिकेशन प्लान में दर्ज मोबाइल नम्बरों का सत्यापन भी किया।

आयुक्त डॉ रोशन जैकब ने एसडीएम कार्तिकेय सिंह को निर्देश दिया कि कम मतदान के कारकों का तत्काल समाधान कराते हुए मतदान केन्द्रों पर आयोग की मंशानुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। कहा कि मतदेय स्थल सूडा पर विशेष कैंप लगाकर न केवल मतदाताओं को जागरूक किया जाए बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रहने पाए। आयुक्त ने ग्राम प्रधान, कोटेदार, रसोईयां, रोजगार सेवक, अध्यापक, सचिव, लेखपाल, आंगनबाड़ी, आशा से वार्ता करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें।

गुरुवार को आयुक्त डॉ रोशन जैकब एसडीएम कार्तिकेय सिंह, सीओ पलिया के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंची जहां उन्होंने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), कस्टम एवं पुलिस कवच सेल के जिम्मेदार अफसरो के साथ स्थलीय भ्रमण किया और लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतते हुए निगरानी करने के निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त ने जांच एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक बैठक की। सीमा पर सुरक्षा को लेकर जांच करने पगडंडियों पर निगरानी सहित स्थानीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै॰ दैनिक भास्कर लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

मास्टर ट्रेनर, तहसीलदार, एसडीएम व एआरओ को दिया गया प्रशिक्षण

भास्कर ब्यूरो

हरदोई। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया को भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन अनुसार सम्पन्न कराने के लिए ड्यूटी में लगाए गए अधिकारियों को कई राउंड का प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है, जिले में मतदान चौथे चरण में होगा इसे लेकर मास्टर ट्रेनर, तहसीलदार, एसडीएम व एआरओ को प्रशिक्षण देकर आवश्यक दिशा निर्देश को लेकर आयोग द्वारा जारी आरओ बुकलेट का गहनता से अध्यन करने को कहा गया है।

गुरुवार को कलेक्ट्रेट के विवेकानन्द सभागार में डीएम व डीईओ एमपी सिंह ने सभी मास्टर ट्रेनर, तहसीलदार, एसडीएम व एआरओ को दिए गए प्रशिक्षण में कहा कि सभी आरओ, एआरओ व अन्य संबंधित अधिकारी रैण्डमाईजेशन से मतदान व मतगणना तक आयोग की आरो बुकलेट का अध्यन कर निर्वाचन निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्ण सम्पन्न कराएंगे।मतदान केन्द्र घटना घटित होने पर आरओ व एआरओ द्वारा कोई रिपोर्ट न दर्ज कराने पर इसकी जानकारी आयोग को होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। कहा दिव्यांग मतदाता जो मतदान में सक्षम नहीं है उसके सहायक के दाहिने हाथ की तर्जनी पर स्याही लगेगी। मतदान समाप्ति पर निर्धारित समय के बाद कोई मतदाता पंक्ति में नही आएगा व निर्धारित समय पर पंक्ति में खड़े मतदाताओं को पीछे की ओर से एक क्रमांक देकर आगे तक पर्ची दी जाए। प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों ने चुनाव की प्रक्रिया बताई। प्रशिक्षण में सीडीओ सौम्या गुरुरानी, एडीएम प्रियंका सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कन्ट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों का हो त्वरित निस्तारण : डीएम

श्रावस्ती। जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा ने लोकसभा चुनाव को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट स्थित ईओसी कक्ष में स्थापित मीडिया सर्टीफिकेशन एण्ड मानिटरिंग सेल (एमसीएमसी) एवं जिला सम्पर्क केन्द्र/कन्ट्रोलरूम का औचक निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेडियो में पेड न्यूज एवं विज्ञापन आदि के प्रकाशन प्रसारण पर व्यापक निगरानी रखी जाए, जिससे राजनैतिक दल, घोषित प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया (विकीपीडिया, ट्वीटर(एक्स), यूटयूब फेसबुक आदि) पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन का प्रचार बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। बिना अनुमति के प्रचार-प्रसार करने पर उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ. दिनांक 29 MAR 2024

लोस चुनाव में मतदान के लिए मतदाता को दिखाना होगा अपना पहचान पत्र : डीएम

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई एक पहचान पत्र अनिवार्य

भास्कर ब्यूरो

महराजगंज। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में होने वाले मतदान में मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके विकल्प में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। लेकिन ऐसे मतदाता अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक पहचान पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी ने कहा किभारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड को दिखाने पर मतदाता वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदो/विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र, और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड को भी मान्य किया गया है।

डीएम ने कहा है कि एपिक में प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए। बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक द्वारा सुनिश्चित की जा सके। डीएम ने कहा कि यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे। बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदेय स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो, तब मतदाता को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

डीएम ने शिकायत निस्तारण कंट्रोल का निरीक्षण किया

जिलाधिकारी अनुनय झा ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए गठित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम नई शिकायत रजिस्टर को भी देखा। निस्तारित शिकायतों की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संदर्भ में जरूरी निर्देश देते हुए नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देशित किया कि संबंधित एसडीएम से वार्ता करते हुए शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने कहा कि निस्तारण उचित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने हेतु शिकायतों का उचित निस्तारण बेहद अहम है। इसलिए नोडल अधिकारी सक्रिय रहकर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जारी है डीएम का भागीरथ प्रयास

● मतदान केन्द्रों का भ्रमण आमजन से कर रहीं हैं मतदान की अपील

भास्कर ब्यूरो

बहराइच। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतदान में शत-प्रतिशत मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित कराने तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में अवस्थित मतदान केन्द्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनज़र जिलाधिकारी मोनिका रानी निरन्तर भ्रमणशील रहकर मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ ग्रामवासियों से रूबरू होकर विगत निर्वाचन में कम मतदान प्रतिशत के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रही हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने तहसील नानपारा अन्तर्गत मतदान केन्द्र उच्च प्राथमिक विद्यालय हाड़ाबसेहरी व नानपारा खास का निरीक्षण कर मतदान केन्द्रों पर सामान्य सूचनाओं एवं टोल फ्री नम्बर 1950 का अंकन, विद्युत कनेक्शन, लाईट व पंखों की उपलब्धता, मतदेय स्थल पर शौचालय, जलापूर्ति की स्थिति, मतदेय स्थल पर शुद्ध पेयजल, स्थापित हैण्डपम्प की क्रियाशीलता, मतदेय स्थल/विद्यालय की साफ-सफाई, रैम्प, मतदान केन्द्र पर नेटवर्क की उपलब्धता, कन्ट्रोल रूम का नम्बर, फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र वितरण, रूट चार्ट तथा कम्यूनिकेशन प्लान में दर्ज मोबाइल नम्बरों का सत्यापन भी किया। डीएम ने उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि कम मतदान के कारकों का तत्काल समाधान कराते हुए मतदान केन्द्रों पर आयोग की मंशानुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। डीएम ने कोटेदार, रसोईयां, रोजगार सेवक, अध्यापक, सचिव, लेखपाल, आंगनबाड़ी, आशा से वार्ता करते हुए निर्देश दिया कि ग्रामवासियों को मतदान के लिए प्रेरित करें।

मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान डीएम ने मौजूद लोगों को मतदाता शपथ दिलाते हुए आहवान किया कि मतदान के दिन निर्भय होकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। डीएम ने लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति शराब, रिश्वत या ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी के पक्ष में अथवा विरोध में वोट डालने का प्रयास करता है तो इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से अवश्य करें। डीएम ने लोगों से कहा कि मतदान दिवस के दिन परिवार के बुज़ुर्ग इस बात का प्रयास करे कि परिवार के सभी सदस्य वोट देने जायें, यदि परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो परिवार के लोगों को चाहिए कि मतदान के लिए जाते समय उनकों भी अपने साथ ले जायें। डीएम मोनिका रानी ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिया की शत-प्रतिशत मतदाताओं को ईपिक उपलब्ध कराये जाने हेतु मतदाता पहचान पत्र वितरण कार्य की डाकियावार समीक्षा की जाय। समीक्षा में यदि डाकिया की शिथिलता पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध सक्षम अधिकारी को पत्र प्रेषित करें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

मानदेय व यात्रा भत्ता के लिए निर्वाचन कार्यालय से करें संपर्क

चन्दौली। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 एवं नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में श्रमसाध्य, उत्कृष्ट एवं दक्षतापूर्ण कार्य करने वाले प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य प्रकोष्ठों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों' के 'मानदेय' तथा त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन माह जनवरी 2020में नियुक्त मतदान व मतगणना कार्मिकों के यात्रा भत्ता के भुगतान हेतु राज्य निर्वाचन आयोग धनावंटन स्वीकृत कर दिया है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) कलेक्ट्रेट चन्दौली से सम्पर्क स्थापित कर अपने मानदेय व यात्रा भत्ता भुगतान हेतु बैंक खाता संख्या, आईएफएसी कोड, बैंक का नाम व पता तथा उपरोक्त निर्वाचन में ड्यूटी से सम्बन्धित प्रमाण' तत्काल उपलब्ध करायें, ताकि ई-पेमेन्ट के माध्यम से उनके खाते में मानदेय व यात्रा भत्ता का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में किया जा सके। समय से विवरण उपलब्ध नहीं कराने की दशा में अवशेष बजट 31मार्च, 2024को समर्पित कर दिया जायेगा एवं बाद में उनके मानदेय व यात्रा भत्ता भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी-प्रकार की कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ दिनांक

जांच में आधा दर्जन उम्मीदवार चुनावी मैदान से बाहर

पीलीभीत। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के आवेदनों की जांच में खामियां मिलने पर आधा दर्जन उम्मीदवारों के अरमानों पर पानी फिर गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 6 उम्मीदवारों के पर्चे निरस्त कर दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने गुरूवार को जांच में छह उम्मीदवारों के पर्चे गलत होने पर निरस्त किए हैं। नाम निर्देशनों की जांच के दौरान लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत- 26 से 06 नामांकन फार्म कैंसिल होने पर आधा दर्जन उम्मीदवार चुनावी समर से बाहर हो गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलाकर कुल 10 उम्मीदवारों के नामांकन फार्म सही पाये गये। निरस्त किये गये आवेदनों में भारत जोड़ो पार्टी के इब्राहीम, युवा जनक्रान्ति के बलवान सिंह, निर्दलीय मुनेश सिंह, निर्दलीय विचिन पाल, निर्दलीय सतेन्द्र कुमार मौर्य व निर्दलीय सवील हसन प्रत्याशियों के रूप में नामांकन किया था, इनके नामांकन फार्मों में कमियों के कारण निरस्त किए गए हैं। इसके बाद प्रत्याशी अपना नामांकन 30 मार्च 2024 को वापस भी ले सकेंगे और उसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह प्रदान किये जायेगें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै• दैनिक भास्कर लखनऊ. दिनांक 29 MAR 2024

अधिकारी और कर्मचारियों की तरह मतदान कर सकेंगे मीडिया कर्मी

• डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने पर लंबी लाइन से मिलेगी मुक्ति

भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मीडिया कर्मियों के लिए अच्छी खबर है, इस बार के चुनाव में अधिकारी और सैनिकों की तरह मीडिया कर्मी भी डाक पत्र से मतदान कर सकेंगे।

निर्वाचन के दौरान चुनाव क्षेत्र से बाहर होने पर भी मतदान में योगदान करने के लिए अधिकारियों के साथ कर्मचारी और सैनिक पोस्टल बैलेट का प्रयोग करते आए हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से मीडिया कर्मियों के लिए भी लाइन से अलग हटकर मतदान की व्यवस्था की गई है। मीडिया कर्मियों को प्रारूप 12 घ उपलब्ध कराकर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चुनावी माहौल के दौरान समाचार कवरेज करने की दौड़ भाग में मतदान करने से वंचित हो रहे मीडिया कर्मियों को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था कराई जा रही है। वोट करने के दौरान लंबी-लंबी लाइनों में लगकर मतदान करने की दौड़ धूप अब मीडिया कर्मियों के लिए बीते कल की बात होगी।

> “चुनाव में पत्रकारों के लिए भी यह सुविधा दी जा रही है, स्वेच्छा से प्रारूप प्राप्त करके पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं।”
>
> **डॉ. प्रदीप कुमार सिंह**
> एआर कोऑपरेटिव

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्पष्ट आवाज, लखनऊ .... दिनांक 29 MAR 2024

डीईओ ने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ की बैठक

अम्बेडकरनगर(स्पष्ट आवाज)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सदरपुर टांडा के ऑडिटोरियम हाल में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कटेहरी के बीएलओ/सुपरवाइजर एवं समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बीएलओ/सुपरवाइजर एवं समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तैयारियो के बारे में पूछा गया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दिनांक से पूर्व घर-घर मतदाता पर्ची पहुंचाने हेतु बीएलओ/सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया।

बैठक के दौरान समस्त बीएलओ को अवगत कराया गया कि 26 अप्रैल 2024 तक फॉर्म 6 प्राप्त किया जा सकते है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बीएलओ/सुपरवाइजर तथा समस्त सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिए गए निर्देशों का अक्षरस पालन सुनिश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए अन्यथा की दशा में कड़ी से कड़ी कार्रवाई तय की जाएगी। बैठक के दौरान 425 बीएलओ में से 16 बीएलओ अनुपस्थित पाए गए, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इनका एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सी विजिल ऐप के माध्यम से केवल मौके की फोटो व वीडियो ,आडियो लगाई जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो कोई भी व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकता है शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा यदि शिकायत सही मिलती है तो 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। उक्त बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सदानंद गुप्ता, उप जिलाधिकारी तथा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० स्पष्ट आवाज, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

मतदान प्रतिशत में इज़ाफे के लिए जारी है डीएम का भागीरथ प्रयास

बहराइच (स्पष्ट आवाज)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतदान में शत-प्रतिशत मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित कराने तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में अवस्थित मतदान केन्द्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनज़र जिलाधिकारी मोनिका रानी निरन्तर भ्रमणशील रहकर मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ ग्रामवासियों से रूबरू होकर विगत निर्वाचन में कम मतदान प्रतिशत के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रही हैं।

इसी कड़ी में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने तहसील नानपारा अन्तर्गत मतदान केन्द्र उच्च प्राथमिक विद्यालय हाड़ाबसेहरी व नानपारा खास का

● मतदान केन्द्रों का भ्रमण आमजन से कर रहीं हैं मतदान की अपील

निरीक्षण कर मतदान केन्द्रों पर सामान्य सूचनाओं एवं टोल फ्री नम्बर 1950 का अंकन, विद्युत कनेक्शन, लाईट व पंखों की उपलब्धता, मतदेय स्थल पर शौचालय, जलापूर्ति की स्थिति, मतदेय स्थल पर शुद्ध पेयजल, स्थापित हैण्डपम्प की क्रियाशीलता, मतदेय स्थल/विद्यालय की साफ-सफाई, रैम्प, मतदान केन्द्र पर नेटवर्क की उपलब्धता, कन्ट्रोल रूम का नम्बर, फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र वितरण, रूट चार्ट तथा कम्यूनिकेशन प्लान में दर्ज मोबाइल नम्बरों का सत्यापन भी किया। डीएम ने उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि कम मतदान के कारकों का तत्काल समाधान कराते हुए मतदान केन्द्रों पर आयोग की मंशानुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। डीएम ने कोटेदार, रसोईयां, रोजगार सेवक, अध्यापक, सचिव, लेखपाल, आंगनबाड़ी, आशा से वार्ता करते हुए निर्देश दिया कि ग्रामवासियों को मतदान के लिए प्रेरित करें। मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान डीएम ने मौजूद लोगों को मतदाता शपथ दिलाते हुए आहवान किया कि मतदान के दिन निर्भय होकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। डीएम ने लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति शराब, रिश्वत या जोर ज़बरदस्ती करके किसी के पक्ष में अथवा विरोध में वोट डालने का प्रयास करता है तो इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से अवश्य करें। डीएम ने लोगों से कहा कि मतदान दिवस के दिन परिवार के बुजुर्ग इस बात का प्रयास करे कि परिवार के सभी सदस्य वोट देने जायें, यदि परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो परिवार के लोगों को चाहिए कि मतदान के लिए जाते समय उनकों भी अपने साथ ले जायें। डीएम मोनिका रानी ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिया की शत-प्रतिशत मतदाताओं को ईपिक उपलब्ध कराये जाने हेतु मतदाता पहचान पत्र वितरण कार्य की डाकियावार समीक्षा की जाय। समीक्षा में यदि डाकिया की शिथिलता पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध सक्षम अधिकारी को पत्र प्रेषित करें।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी नानपारा अश्वनी पाण्डेय, तहसीलदार अजय यादव, खण्ड विकास अधिकारी बलहा संदीप त्रिपाठी, खण्ड शिक्षा अधिकारी बलहा विभा सचान सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

समाचार पत्र का नाम दै० स्पष्ट आवाज, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

दिव्यांगों, बुजुर्ग, ड्यूटी पर तैनात लोगों को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा : डीएम

बाराबंकी स्पष्ट आवाज। ज़िला निर्वाचन अधिकारी / ज़िला मजिस्ट्रेट श्री सत्येंद्र कुमार ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में ड्यूटी पर आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों को पोस्टल बैलट की सुविधा मतदान के दिनांक से दो तीन दिन पूर्व दी जाएगी। इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोग मतदान से वंचित न रह जाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/ ज़िला मजिस्ट्रेट श्री सत्येंद्र कुमार आज लोक सभागार में पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र के सम्बंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी / अपर ज़िला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार सिंह के अलावा जनपद के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष शामिल रहे। बैठक में ज़िला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, संचार, फायर सर्विस, ऊर्जा आदि विभागों के कर्मचारियों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पृथक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यहां मतदान के दिनांक से दो तीन दिन पूर्व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इसके लिए व्यवस्था की जाएगी।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी/ ज़िला मजिस्ट्रेट श्री सत्येंद्र कुमार ने उपस्थित सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभागों के उन कर्मचारियों के लिए फार्म 12 डी अथवा अन्य सम्बंधित फार्म निर्धारित समय पर प्राप्त करें और सम्बंधित कर्मचारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह हम सबका दायित्व है कि ड्यूटी पर तैनात कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित न रहने पाए।

उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में कार्यरत लाइनमैन आदि, रेलवे कर्मचारी, रोडवेज़ के ड्राइवर, कंडक्टर, नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तथा इसी प्रकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों को जो मतदान के दिन ड्यूटी करेंगे, उनको डाक मत पत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ज़िला निर्वाचन अधिकारी/ ज़िला मजिस्ट्रेट श्री सत्येंद्र कुमार ने बताया कि इसके अलावा दिव्यांग जन, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है, या उनके आवागमन में कठिनाई है तो ऐसा दशा में उनको भी सम्बंधित बीएलओ के जरिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह 85 वर्ष से अधिक के वे बुजुर्ग जो मतदान केंद्र तक आने जाने में सक्षम नहीं हैं, उनको भी बीएलओ के माध्यम से पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में मतदान के दिनांक से पूर्व इस सुविधा की सूचना नियत समय पर दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी ।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्पष्ट आवाज, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

पांच दिन पूर्व जारी होगी मतदाता सूचना पर्चीः निर्वाचन अधिकारी

बलरामपुर। डीएम/ जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-24 में अधिक से अधिक मतदाता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे इसके लिए विधानसभावार निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची जारी की जायेगी। इस मतदाता सूचना पर्ची के आगे के भाग पर निर्वाचक नामावली में भाग संख्या व नाम, क्रम संख्या, पोलिंग स्टेशन का नाम तथा मतदान का दिनांक, क्यू आर कोड इत्यादि का उल्लेख होगा। मतदाता सूचना पर्ची के पीछे के भाग पर पोलिंग स्टेशन का नक्शा तथा बीएलओ का नाम, बीएलओ का कॉन्टेक्ट नम्बर, मतदान करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज का विवरण तथा अन्य निर्देश उल्लिखित रहेगा। मतदाता सूचना पर्ची के साथ प्रत्येक परिवार को हिन्दी में रंगीन वोटर गाइड भी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची का वितरण मतदान की तिथि के 09 दिन पूर्व से लेकर मतदान की तिथि से 05 दिन पूर्व तक समस्त मतदाताओं को उपलब्ध करायी जाएगी। बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्ची, पंजीकृत मतदाता को या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराने के बाद दी जायेगी।

प्रत्येक परिवार को दी जाएगी रंगीन वोटर गाइड

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचना पर्ची के साथ प्रत्येक परिवार को रंगीन वोटर गाइड दी जाएगी। रंगीन वोटर गाइड में चित्रों के माध्यम से मतदाता ईवीएम से कैसे अपना मतदान करें तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी जा रही सुविधा ऐप्स जैसे सक्षम-ईसीआई, वोटर हेल्पलाइन ऐप, अपने अभ्यर्थी को जाने (नो योर कैन्डिडेट) ऐप तथा सी-विजिल ऐप की जानकारी दी गयी है। इसके साथ ही पंजीकरण, मतदान, दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को घर से मतदान तथा डाक मतपत्र की सुविधा के बारे में बताया गया है।

पोस्टल बैलट से वोटिंग की रणनीति पर मंथन

■ **एनबीटी, बाराबंकी:** लोकसभा चुनाव में आवश्यक ड्यूटी से जुड़े लोगों को पोस्टल बैलट की सुविधा देने की रणनीति पर गुरुवार को बैठक के दौरान चर्चा की गई। इस दौरान डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पोस्टल बैलट की सुविधा मतदान के तारीख से दो-तीन दिन पहले दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोग मतदान से वंचित न रह जाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास किंए जा रहे हैं। डीएम ने यह भी बताया कि पुलिस, परिवहन आदि विभागों के कर्मचारियों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अलग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ .... दिनांक 26 MAR 2024

मतदान के समय पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता पहचान पत्र करना होगा प्रस्तुत

भास्कर ब्यूरो

संतकबीरनगर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया है कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

उन्होने बताया कि कुल 12 पहचान दस्तावेज यथा-आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरो द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक लाना होगा।

डीएम ने बताया कि एपिक में प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियों को नजर अन्दाज कर देना चाहिये, बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक द्वारा सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदेय स्थल से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिये। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब मतदाता को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। जिलाधिकारी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम 05 दिन पूर्व वितरित करने के निर्देश दिये गये है। मतदाता सूचना पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान का दिनांक व समय आदि का उल्लेख रहता है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .... [illegible] लखनऊ .... दिनांक 29 MAR 2024

निर्भय होकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए करें अपने मताधिकार का प्रयोग- डीएम

***मतदान प्रतिशत में इजाफे के लिए जारी है डीएम का भागीरथ प्रयास*मतदान केन्द्रों का भ्रमण आमजन से कर रहीं हैं मतदान की अपील**

बहराइच जनसंदेश टाइम्स लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतदान में शत-प्रतिशत मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित कराने तथा जिले में अवस्थित मतदान केन्द्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनजर डीएम मोनिका रानी निरन्तर भ्रमणशील रहकर मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ ग्रामवासियों से रूबरू होकर विगत निर्वाचन में कम मतदान प्रतिशत के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रही हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने तहसील नानपारा अन्तर्गत मतदान केन्द्र उच्च प्राथमिक विद्यालय हाड़ाबसेहरी व नानपारा खास का निरीक्षण कर मतदान केन्द्रों पर सामान्य सूचनाओं एवं टोल फ्री नम्बर 1950 का अंकन, विद्युत कनेक्शन, लाईट व पंखों की उपलब्धता, मतदेय स्थल पर शौचालय, जलापूर्ति की स्थिति, मतदेय स्थल पर शुद्ध पेयजल, स्थापित हैण्डपम्प की क्रियाशीलता, मतदेय स्थल/विद्यालय की साफ-सफाई, रैम्प, मतदान केन्द्र पर नेटवर्क की उपलब्धता, कन्ट्रोल रूम का नम्बर, फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र वितरण, रूट चार्ट तथा कम्यूनिकेशन प्लान में दर्ज मोबाइल नम्बरों का सत्यापन भी किया। डीएम ने उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिया। मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान डीएम ने मौजूद लोगों को मतदाता शपथ दिलाते हुए आहवान किया कि मतदान के दिन निर्भय होकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। डीएम ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिया की शत-प्रतिशत मतदाताओं को ईपिक उपलब्ध कराये जाने हेतु मतदाता पहचान पत्र वितरण कार्य की डाकियावार समीक्षा की जाय। समीक्षा में यदि डाकिया की शिथिलता पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध सक्षम अधिकारी को पत्र प्रेषित करें। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी नानपारा अश्वनी पाण्डेय, तहसीलदार अजय यादव, खण्ड विकास अधिकारी बलहा संदीप त्रिपाठी, खण्ड शिक्षा अधिकारी बलहा विभा सचान सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 जन संदेश टाइम्स, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंची कमिश्नर, विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

आयुक्त ने देखे पलिया के सुदूरवर्ती मतदान केंद्र, लिया जायजा

लखीमपुर-खीरी। (जनसंदेश टाइम्स)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से जनपद भ्रमण कार्यक्रम पर खीरी पहुंची आयुक्त लखनऊ मंडल डॉ0 रोशन जैकब ने दूसरे दिन गुरुवार को तहसील पलिया के दूरस्थ मतदान केन्द्र प्रावि गौरीफंटा सहित ग्राम सरियापारा, ग्राम सूडा के मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया।

आयुक्त ने मतदाताओं के बीच स्वयं मतदाता सूची में लिखे नामों को पढ़कर सुनाये जाने तथा ग्रामवासियों से पढ़े गये नामों के बारे में जानकारी प्राप्त की। बूथ लेबिल अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम से बाहर रह रहे मतदाताओं के मोबाइल नम्बर पर एसएमएस भेजकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाय। आयुक्त ने गौरीफंटा थाना क्षेत्र के ग्राम सरियापारा, ग्राम सूडा के मतदेय स्थलों के निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद कर मतदान दिवस (13 मई) को शत प्रतिशत मतदान का संकल्प दिलाया। इसके बाद उन्होंने चंदन चैकी बॉर्डर पर फॉरिस्ट एरिया में पैदल मार्च किया। कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान मतदान केन्द्रों पर सामान्य सूचनाओं एवं टोल फ्री नम्बर 1950 का अंकन, विद्युत कनेक्शन, लाईट व पंखों की उपलब्धता, मतदेय स्थल पर शौचालय, जलापूर्ति की स्थिति, मतदेय स्थल पर शुद्ध पेयजल, स्थापित हैण्डपम्प की क्रियाशीलता, मतदेय स्थलध्विद्यालय की साफ-सफाई, रैम्प, मतदान केन्द्र पर नेटवर्क की उपलब्धता, कन्ट्रोल रूम का नम्बर, फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र वितरण, रूट चार्ट तथा कम्यूनिकेशन प्लान में दर्ज मोबाइल नम्बरों का सत्यापन भी किया। उन्होंने, एसडीएम कार्तिकिय सिंह को निर्देश दिया कि कम मतदान के कारकों का तत्काल समाधान कराते हुए मतदान केन्द्रों पर आयोग की मंशानुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। आयुक्त डॉ0 रोशन जैकब, एसडीएम कार्तिकिय सिंह व सीओ पलिया के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंची, जहां उन्होंने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), कस्टम एवं पुलिस कवच सेल के जिम्मेदार अफसरो के साथ स्थलीय भ्रमण किया और चुनाव के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतते हुए निगरानी करने के निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त ने जांच एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक बैठक की और सीमा पर सुरक्षा को लेकर जांच करने व पगडंडियों पर निगरानी रखने सहित स्थानीय अधिकारियों को अन्य जरूरी दिशा निर्देश दिए।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ...अमृत विचार... दिनांक 29 MAR 2024

मुरादाबाद से हसन व रामपुर से आसिम समेत 71 नामांकन रद

रुचि वीरा व मोहिबुल्लाह लड़ेंगे चुनाव, पहले चरण में कुल 84 प्रत्याशी मैदान में

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- 30 मार्च को प्रत्याशी वापस ले सकेंगे नाम

अमृत विचार: उप्र. में पहले चरण में कुल 84 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच में 71 नामांकन खारिज हो गए। मुरादाबाद सीट से सपा की ओर से नामांकन कराने वाले वर्तमान सांसद डॉ. एसटी हसन का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। उनकी जगह रुचि वीरा को अधिकृत प्रत्याशी मानते हुए पर्चा सही माना गया है। मुरादाबाद सीट के लिए 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। पांच नामांकन खारिज हो गये हैं और बाकी 13 नामांकन पत्र वैध पाये गये। 30 मार्च को नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी । सीतापुर जेल में बंद आजम खां के करीबी और रामपुर नगर अध्यक्ष आसिम राजा सहित 12 प्रत्याशियों का नामांकन पत्रों को त्रुटियां मिलने के बाद खारिज कर दिया है। अब चुनावी दंगल में भाजपा से सांसद घनश्याम सिंह लोधी,बसपा से जीशान खां और सपा से मोहिबुल्लाह नदवी समेत छह प्रत्याशी मैदान में हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

29 MAR 2024

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र चेतना, लखनऊ .... दिनांक ....

डीएम और एसपी ने रामनगर के मतदान केंद्रों का किया स्थलीय निरीक्षण

स्वतंत्र चेतना

बाराबंकी, । लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी व चरणबद्ध तरीके से सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत आज जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार तथा पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कुमार सिंह ने विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अंतर्गत मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय जमका का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बूथ पर निर्धारित आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया तथा कहा कि बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाए, ताकि उन्हें कोई असुविधा न होने पाए। उन्होने कहा कि बूथों के लिए निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार विद्यालय की सभी कमियों को ससमय दुरुस्त कराने का निर्देश दिया, ताकि मतदान को सकुशल संपन्न कराया जा सके इस दौरान उप जिलाधिकारी रामनगर श्री पवन कुमार, खंड विकास अधिकारी सूरतगंज सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

डीएम की मौजूदगी में कंट्रोल रुम नंबर और वोटर हेल्पलाइन नंबर जारी

सुल्तानपुर (स्वतंत्र चेतना)। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी त्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता व उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गौरव शुक्ला, अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) नोडल निर्वाचन शिकायत प्रकोष्ठ एस0 सुधाकरन सहित सहायक नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सकुशल, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन शिकायत प्रकोष्ठ, प्रेक्षक व्यवस्था, निर्वाचन कंट्रोल रूम एवं शिकायतों का निस्तारण तथा वोटर हेल्पलाइन व्यवस्था आदि की तैयारियों के सम्बन्ध में प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी की अनुमति से अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) नोडल अधिकारी (निर्वाचन शिकायत प्रकोष्ठ, प्रेक्षक व्यवस्था, निर्वाचन कंट्रोल रूम एवं शिकायतों का निस्तारण तथा वोटर हेल्पलाइन व्यवस्था) द्वारा तैयारियों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि निर्वाचन शिकायत प्रकोष्ठ का गठन कर लिया गया। सभी सम्बन्धित की ड्यूटी लगायी जा चुकी है। निर्वाचन सम्बन्धी शिकायतों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है।

प्रेक्षक व्यवस्था की तैयारियों की सम्बन्ध में बताया कि सभी प्रेक्षकों को उपलब्ध करायी जानी वाली सभी आधारभूत सुविधाओं जैसे- कम्प्यूटर, प्रिन्टर, मोबाइल नम्बर, रूकने की व्यवस्था, लाइजन अफिसर की नियुक्ति, उपलब्ध करायी जाने वाली सूचनाओं का संग्रह, वाहन, आदि सब सुनिश्चित कर ली गयी है1 कहाकि सभी के साथ अलग से एक बैठक भी कर ली गयी है। उन्होंने अवगत कराया कि निर्वाचन कंट्रोल रूम एवं शिकायत का निस्तारण तथा वोटर हेल्प लाइन व्यवस्था सम्बन्धित सभी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर ली गयी हैं तथा सभी क्रियाशील हैं। उन्होंने अवगत कराया कि निर्वाचन कंट्रोल रूम की स्थापना कर ली गई है, जिसका दूरभाष नम्बर 05362-221002, 221003, 221004, 221005, 221006 तथा वोटर हेल्प लाइन नंबर 1950 है।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने सभी नियुक्त लाइजन अफिसर्स को निर्देशित किया गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी आर्बजवर हैण्डबुक का अध्ययन अवश्य कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि जो भी आवश्यक सुविधाएं प्रेक्षक को उपलब्ध कराना है, वह सब समय से पहले सुनिश्चित कर ली जाय। कहा कि प्रेक्षक को उपलब्ध करायी जाने वाली सभी सूचनाओं का संग्रह/बुकलेट आदि अभी से तैयार कर ली जाय। इस अवसर पर समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ...दै० स्वतंत्र चेतना, लखनऊ............ दिनांक ...29 MAR 2024

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया मॉनिटंरिंग सेल व कन्ट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण

श्रावस्ती। जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा ने लोकसभा सामान्य

निर्वाचन-2024 को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट स्थित ई0ओ0सी0 कक्ष में स्थापित मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग सेल (एम0सी0एम0सी0) एवं जिला सम्पर्क केन्द्र/कन्ट्रोलरूम का औचक निरीक्षण कर जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेडियो में पेड न्यूज एवं विज्ञापन आदि के प्रकाशन प्रसारण पर व्यापक निगरानी रखी जाए, जिससे राजनैतिक दल, घोषित प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया (विकीपीडिया, ट्वीटर(एक्स), यूट्यूब फेसबुक आदि) पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन का प्रचार बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। बिना अनुमति के प्रचार-प्रसार करने पर उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में सम्बन्धित के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।जिला सम्पर्क केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सहायक नोडल अधिकारी को निर्देश दिया कि कन्ट्रोलरूम में आने वाली सभी शिकायतों को सूचीबद्ध किया जाए तथा उनका समय सीमा के अन्तर्गत निराकरण भी सुनिश्चित कराया जाए। उन्होने सी-विजिल ऐप एवं एम0सी0सी0 (आदर्श आचार संहिता) ऐप के बारे में जानकारी ली। उन्होने कहा कि ्सी-विजिल्् ऐप से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।निरीक्षण के दौरान सहायक नोडल अधिकारी/उपायुक्त उद्योग वी0के0 चैधरी सहित्त सभी सम्बन्धित अधिकारीगण एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निष्पक्ष,पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराए जाने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन

अंबेडकर नगर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार मे सामान्य निर्वाचन 2024 सी.विजिलऐप को प्ले स्टोर से लोड करने एवं सी.विजिलऐप को संचालित करने के संबंध मे जिसके माध्यम से चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने एवं निष्पक्षए पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने हेतु की प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ द्वारा विस्तार पूर्वकए स्टेप बाई स्टेप तथा निर्वाचन आयोग के दिए गए निदेर्शों से टीम कार्मिकों को अवगत कराया गया तथा एफएसटी टीम को यह भी बताया गया कि निर्वाचन के दौरान मिली शिकायतों का समय अंतर्गत निस्तारण किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सी विजिलऐप के माध्यम से केवल मौके की फोटो व वीडियोएआडियो लगाई जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो कोई भी व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकता है शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा यदि शिकायत सही मिलती है तो 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित कार्मिकों से जानकारी प्राप्त की गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशलए निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से कराए जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश से वर्तमान में एफ एस टी टीमें संचालित हैं जो कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिए लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ध्अपर जिलाधिकारी डॉण्सदानंद गुप्ताए अपर जिलाधिकारी न्यायिकए मुख्य कोषाधिकारीए जिला विकास अधिकिरीए जिला सूचना अधिकारी समस्त उप जिलाधिकारी एसमस्त खण्ड विकास अधिकारी समस्त अधिशासी अधिकारी तथा संबंधित विभाग के अधिकारीध् कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे। •

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

डीईओ ने राजनैतिक दलों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

अलीगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राजनैतिक

दलों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई। डीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को अधिसूचना जारी करने के साथ देश भर में निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। जिले में अलीगढ़ लोक सभा-15 के लिए गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर 04 अप्रैल तक प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन खरीदे एवं जमा किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र खरीद एवं जमा का कार्य एडीएम न्यायिक के न्यायालय कक्ष से संचालित होगा। स्क्रूटनी का कार्य 05 अप्रैल को 11 बजे से आरम्भ होकर कार्य समाप्ति तक किया जाएगा। 08 अप्रैल को 3 बजे तक नाम वापसी के साथ ही वैध प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा सामान्य वर्ग के लिए जमानत धनराशि 25000 रुपए एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 12500 रुपए निर्धारित की गई है। नामांकन फीस चार तरीकों कैश, ट्रेजरी चालान, आरबीआई या सुविधा एप पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले प्रत्याशियों को नामांकन फीस ऑनलाइन जमा किए जाने की सुविधा आयोग द्वारा प्रदान की गई है। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ 4 व्यक्ति एक बार में नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकृत राजनैतिक दल के प्रत्याशी के लिए 01 प्रस्तावक एवं निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक हैं। प्रत्याशी को अपने स्थानीय निकाय क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र देने होंगे। उन्होंने बताया कि फार्म ए और बी मूल प्रति में होने चाहिए। फोटोग्राफ तीन माह से अधिक पुराना न हो। शपथपत्र का प्रारूप एनआईसी पोर्टल और ईसीआई की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार की अनुमतियों के लिए अधिकारी नामित कर दिए गए हैं, ऑनलाइन भी प्राप्त की जा सकती हैं, प्रत्याशी इसका लाभ लें। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एफएसटी एवं एसएसटी टीमें कार्यरत हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि नकदी कैश लेकर चलते समय इस संबंध में अभिलेखीय साक्ष्य, ट्रांजेक्शल स्लिप इत्यादि साथ में लेकर चलें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बच सकें। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पत्रकार बन्धुओं द्वारा पूछे गये सवालों और उनकी जिज्ञासाओं का जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्णतः समाधान कराते हुए उन्होंने निर्वाचन संबंधी विभिन्न बारीकियों एवं तथ्यों के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज कुमार, संबंधित अधिकारी एवं बीजेपी से उदयवीर सिंह लोधी, कांग्रेस से नदीम गफूर समेत अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं पत्रकार बन्धु उपस्थित रहे।

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र चेतना, लखनऊ .... दिनांक 29 MAR 2024

दिव्यांग जन, बुजुर्ग, ड्यूटी पर तैनात लोगों को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा : डीएम

स्वतंत्र चेतना

बाराबंकी,। ज़िला निर्वाचन अधिकारी / ज़िला मजिस्ट्रेट श्री सत्येंद्र कुमार ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में ड्यूटी पर आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों को पोस्टल बैलट की सुविधा मतदान के से दो तीन दिन पूर्व दी जाएगी। इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोग मतदान से वंचित न रह जाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी/ ज़िला मजिस्ट्रेट श्री सत्येंद्र कुमार आज लोक सभागार में पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र के सम्बंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी / अपर ज़िला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार सिंह के अलावा जनपद के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष शामिल रहे। बैठक में ज़िला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, संचार, फायर सर्विस, ऊर्जा आदि विभागों के कर्मचारियों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पृथक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यहां मतदान के दिनांक से दो तीन दिन पूर्व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इसके लिए व्यवस्था की जाएगी।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी/ ज़िला मजिस्ट्रेट श्री सत्येंद्र कुमार ने उपस्थित सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभागों के उन कर्मचारियों के लिए फार्म 12 डी अथवा अन्य सम्बंधित फार्म निर्धारित समय पर प्राप्त करें और सम्बंधित कर्मचारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में कार्यरत लाइनमैन आदि, रेलवे कर्मचारी, रोडवेज के ड्राइवर, कंडक्टर, नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तथा इसी प्रकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों को जो मतदान के दिन ड्यूटी करेंगे, उनको डाक मत पत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र भारत, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे दिव्यांग और बुजुर्गः डीएम

बाराबंकी। ज़िला निर्वाचन अधिकारी व ज़िला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में ड्यूटी पर आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों को पोस्टल बैलट की सुविधा मतदान की तिथि से दो तीन दिन पूर्व दी जाएगी। इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोग मतदान से वंचित न रह जाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी, ज़िला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार गुरूवार को लोक सभागार में पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र के सम्बंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में ज़िला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, संचार, फायर सर्विस, ऊर्जा आदि विभागों के कर्मचारियों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पृथक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यहां मतदान की तिथि से दो तीन दिन पूर्व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। ज़िला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने उपस्थित सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभागों के उन कर्मचारियों के लिए फार्म 12 डी अथवा अन्य सम्बंधित फार्म निर्धारित समय पर प्राप्त करें और सम्बंधित कर्मचारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह हम सबका दायित्व है कि ड्यूटी पर तैनात कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित न रहने पाए। ज़िला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि इसके अलावा दिव्यांग जन, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है, या उनके आवागमन में कठिनाई है तो ऐसा दशा में उनको भी सम्बंधित बीएलओ के जरिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह 85 वर्ष से अधिक के वे बुजुर्ग जो मतदान केंद्र तक आने जाने में सक्षम नहीं हैं, उनको भी बीएलओ के माध्यम से पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में मतदान के दिनांक से पूर्व इस सुविधा की सूचना नियत समय पर दे दी जाएगी। बैठक में उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी, अपर ज़िला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह के अलावा जनपद के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष शामिल रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 डेली न्यूज, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

बूथ पहुंचकर डीएम, एसपी ने जांची कमियां

डेली न्यूज नेटवर्क

बाराबंकी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी व चरणबद्ध तरीके से सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत गुरूवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येन्द्र कुमार तथा पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने विधानसभा क्षेत्र रामनगर अंतर्गत मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय जमका का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बूथ पर निर्धारित आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

उन्होनें कहा कि, बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाये। ताकि, उन्हें कोई असुविधा न होने पाये। बूथों के लिए निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार विद्यालय की सभी कमियों को ससमय दुरुस्त कराने का निर्देश दिये, ताकि मतदान को सकुशल सम्पन्न कराया जा सके। डीएम और एसपी ने प्राथमिक विद्यालय खुज्जी का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी रामनगर पवन कुमार, बीडीओ सूरतगंज सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ......दै0 डेली न्यूज, लखनऊ...... दिनांक 20 MAR 2024

सभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदान से पांच दिन पूर्व जारी की जाएगी मतदाता सूचना पर्ची : डीएम

बलरामपुर (डीएनएन)। डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया की लोकसभा सामान्य निर्वाचन में अधिक से अधिक मतदाता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे इसके लिए विधानसभावार निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी मतदाताओं को मतदाता सूंचना पर्ची जारी की जायेगी। इस मतदाता सूचना पर्ची के आगे के भाग पर निर्वाचक नामावली में भाग संख्या व नामए क्रम संख्याए पीलिंग स्टेशन का नाम तथा मतदान का दिनांकए क्यू आर कोड इत्यादि का उल्लेख होगा। मतदाता सूचना पर्ची के पीछे के भाग पर पोलिंग स्टेशन का नक्शा तथा बी0एल0ओ0 का नामए बी0एल0ओ0 का कॉन्टेक्ट नम्बरए मतदान करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज का विवरण तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देश आदि उल्लिखित रहेगा। मतदाता सूचना पर्ची के साथ प्रत्येक परिवार को हिन्दी में रंगीन वोटर गाइड भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची का वितरण मतदान की तिथि से 05 दिन पूर्व तक समस्त मतदाताओं को उपलब्ध करायी जाएगी। बी0एल0ओ0 द्वारा मतदाता सूचना पर्चीए पंजीकृत मतदाता को या उसके परिवार के किसी सदस्य को रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराने के बाद दी जायेगी।

मतदाता सूचना पर्ची के साथ प्रत्येक परिवार को दी जाएगी रंगीन वोटर गाइड

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचना पर्ची के साथ प्रत्येक परिवार को रंगीन वोटर गाइड दी जाएगी। रंगीन वोटर गाइड में चित्रों के माध्यम से मतदाता ई0वी0एम0 से कैसे अपना मतदान करें तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी जा रही सुविधा ऐप्स जैसे सक्षम.ईसीआईए वोटर हेल्पलाइन ऐपए अपने अभ्यर्थी को जाने नो योर कैन्डिडेट ऐप तथा सी विजिल ऐप की जानकारी दी गयी है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ....दै0 डेली न्यूज, लखनऊ............ दिनांक 29 MAR 2024

डीएम ने मीडिया मॉनिटरिंग सेल व कन्ट्रोल रूम का किया निरीक्षण

डेली न्यूज नेटवर्क

श्रावस्ती। जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट स्थित ई0ओ0सी0 कक्ष में स्थापित मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग सेल (एम0सी0एम0सी0) एवं जिला सम्पर्क केन्द्र/कन्ट्रोलरूम का औचक निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेडियो में पेड न्यूज एवं विज्ञापन आदि के प्रकाशन प्रसारण पर व्यापक निगरानी रखी जाए, जिससे राजनैतिक दल, घोषित प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया (विकीपीडिया, ट्वीटर(एक्स), यूट्यूब फेसबुक आदि) पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन का प्रचार बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। बिना अनुमति के प्रचार-प्रसार करने पर उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में सम्बन्धित के खिलाफभारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

जिला सम्पर्क केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सहायक नोडल अधिकारी को निर्देश दिया कि कन्ट्रोलरूम में आने वाली सभी शिकायतों को सूचीबद्ध किया जाए तथा उनका समय सीमा के अन्तर्गत निराकरण भी सुनिश्चित कराया जाए। उन्होने सी-विजिल ऐप एवं एम0सी0सी0 (आदर्श आचार संहिता) ऐप के बारे में जानकारी ली। उन्होने कहा कि ''सी-विजिल'' ऐप से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। निरीक्षण के दौरान सहायक नोडल अधिकारी/उपायुक्त उद्योग वी0के0 चौधरी सहित सभी सम्बन्धित अधिकारीगण एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ......दै० डेली न्यूज, लखनऊ...... दिनांक ...29 MAR 2024

जिलाधिकारी ने किया इलेक्शन कंट्रोल रूम का निरीक्षण

- सी-विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता परखी
- डिजिटली सशक्त मतदाता की पहचान है सी-विजिल एप : जिला निर्वाचन अधिकारी
- आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का होगा सौ मिनट के भीतर निस्तारण

डेली न्यूज नेटवर्क

देवरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने आज लोकसभा सामान्य निर्वाचन .2024 के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर सी.विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की कार्यप्रणाली एवं गुणवत्ता को परखा। सी.विजिल एप पर आदर्श आचार संहिता से जुड़ी 10 शिकायतें दर्ज हुई हैंए जिनका समयबद्ध निस्तारण करा दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सी.विजिल एप नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े प्रकरणों की शिकायत करने के लिए सशक्त करता है। इसमें शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनाये रखने का प्रावधान है। कोई भी नागरिक सी.विजिल एप को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकता है। यदि किसी नागरिक को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता दिखे तो एप में मौजूद कैमरे से तस्वीर खींचनी होगी। जीपीएस कैमरे से लैस सी.विजिल एप से मौके की रियल टाइम तस्वीरए वीडियो एवं ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए चुनाव आयोग ने सौ मिनट की समयावधि निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि जनपद में बरहजए देवरिया सदरए पथरदेवाए रुद्रपुर एवं रामपुर कारखाना से पोस्टर.बैनर से जुड़ी शिकायते प्राप्त हुई हैंए जिनका निस्तारण करा दिया गया। अभी तक प्राप्त सभी शिकायतों के निस्तारण की औसत समयावधि 62 मिनट है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपदवासियों से सी.विजिल एप के अधिक से अधिक उपयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सी.विजिल एप डिजिटली सशक्त व जागरूक मतदाता की पहचान है। कंट्रोल रूम प्रभारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्णकांत राय से अब तक प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की एवं अभिलेखों का अवलोकन किया। इस दौरान सीडीपीओ दयाराम सहित विभिन्न अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद थे।

सी-विजिल एप ऐसे करता है काम

जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि शांतिपूर्णए निष्पक्षए भयमुक्त व सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए जनपद की सीमान्तर्गत स्थित सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए तीन.तीन उड़न दस्ता टीमों का गठन किया गया है जो शिफ्टवार भ्रमणशील रहते हैं। इनके वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगा हैए जो सी.विजिल एप से जुड़ा रहता है। सी.विजिल एप पर जिओ लोकेशन युक्त तस्वीर या वीडियो प्राप्त होती है। प्राप्त लोकेशन के निकटवर्ती उड़न दस्ता टीम को कंट्रोल रूम से मैसेज किया जाता है और उड़न दस्ता टीम मौके पर जाकर शिकायत का निस्तारण करती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सी.विजिल एप सिर्फ रियल टाइम फ़ोटो और वीडियो भेजने की सुविधा से युक्त है। इससे पुराने फ़ोटो वीडियो इत्यादि नहीं भेजे जा सकते।

हर मतदान केंद्र पर तैनात होंगे दो-दो वालेंटियर व्हाट्सएप के माध्यम से होगी निगरानी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो.दो जागरूक नागरिकों को बतौर वालेंटियर तैनात किया जाएगा। इन सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इन्हें इलेक्शन कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा और इनके द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर कार्रवाई भी होगी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ......दै० डेली न्यूज, लखनऊ...... दिनांक ...29 MAR 2024

डीएम ने रेहली विशुनपुर एवं गौहनिया में लगायी मतदाता जागरुकता चौपाल

- शत-प्रतिशत मतदान करने के लिए किया अपील

डेली न्यूज नेटवर्क

रेहली विशुनपुर में चौपाल के दौरा ग्रामीणों के साथ मौजूद डीएम कृतिका शर्मा

श्रावस्ती। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में शत-प्रतिशत मतदान कराने के उद्देश्य से विकास खण्ड हरिहरपुररानी के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय रेहली विशुनपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गांव की महिलाओं, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं ग्राम वासियों से संवाद कर उन्हें स्वयं मतदान करने व दूसरों को भी मतदान कराने हेतु अपील किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों को मतदाता शपथ भी दिलायी।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में प्रत्येक मतदाता को अपने अमूल्य मताधिकार का उपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि एक-एक मत अमूल्य है और एक वोट से ही अच्छे लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है। इसलिए सभी मतदातागण अनिवार्य रूप से मतदान करके राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभायें। उन्होने बताया कि 18 वर्ष तक के सभी व्यक्तियों चाहे वह महिला अथवा पुरूष कोई भी हो, मताधिकार का अधिकार है। इसलिए सभी लोग निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन में आए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है अथवा छूट गया तो नाम मतदाता सूची में डलवा दें। जिससे उन्हें मतदान के समय कोई दिक्कत न होने पाये। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी भिनगा पीयूष जायसवाल, खण्ड विकास अधिकारी हरिहरपुररानी जयप्रकाश सहित सम्बन्धित बूथ के बी0एल0ओ0गण, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां, महिलाएं एवं भारी संख्या में मतदातागण उपस्थित रहे। तदोपरान्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने विकास खण्ड गिलौला के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय गौहनिया में भी मतदाता जागरूता चौपाल लगाकर लोगों को शत-प्रतिशत मतदान हेतु जागरूक किया।

इस अवसर पर खण्ड विकास अधिकारी गिलौला गौरव पुरोहित, खण्ड विकास अधिकारी हरिहरपुररानी जय प्रकाश सहित सम्बन्धित बूथ के बी0एल0ओ0गण, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां, महिलाएं एवं भारी संख्या में मतदातागण उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 डेली न्यूज, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

पर्यावरण अनुकूल चुनाव की दिशा भारत निर्वाचन आयोग ने बढ़ाये कदम

डेली न्यूज नेटवर्क

बहराइच। भारत निर्वाचन आयोग भी चुनाव में गैर-जैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों के उपयीग के कारण होने वाले पर्यावरणीय खतरों के मुद्दे पर बहुत चिंतित है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी पर्यावरण अनुकूल चुनाव की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए एडवाईजरी जारी की गई है।

इस नेक उद्देश्य के लिए क्या करें और क्या न करें का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत राजनीतिक दलों के साथ-साथ चुनाव पदाधिकारियों द्वारा चुनाव सामग्री में प्लास्टिक का उपयोग न करने से लेकर विभिन्न चरणों जैसे कि चुनाव पूर्व, प्रचार, मतदान, मतगणना आदि के दौरान सामग्री की छपाई और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्य और पुस्तकों की भौतिक छपाई को कम करने और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी सामग्री अनुदेशों की छपाई में पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ावा देने के लिए एडवाईज़री जारी की गई है। आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है कि सभी चुनाव प्रक्रियाओं और आयोजनों में केवल पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उपयोग करें और सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह बचा जाये। विभिन्न प्रकार के कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करते हुए मतदान केंद्रों और अभियान कार्यक्रमों में भिन्न-भिन्न प्रकार के कचरे के लिए अलग-अलग संग्रह डिब्बे की व्यवस्था के साथ-साथ स्पष्ट और दृश्यमान संकेतक स्थापित करना चाहिए ताकि लोगों को उपरोक्त प्रकार के कचरे, जैसे कि पुनर्चक्रण योग्य, जैविक अपशिष्ट और गैर-पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट का निपटान कहां किया जाए, के बारे में जानकारी हो सके। कचरा प्रबन्धन के सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक प्रकार के कचरे के लिए पर्याप्त निपटान सुविधाओं की व्यवस्था के साथ-साथ कचरा संग्रहण और पृथक्करण प्रक्रिया की नियमित निगरानी व समुचित रख-रखाव किया जाय।

चुनाव अवधि के दौरान अपशिष्ट पृथक्करण के महत्व को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय समुदायों और हितधारकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाय। कागज़ अल्पीकरण के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया है कि मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों और चुनावी सामग्री के लिए कागज का उपयोग कम से कम किया जाय। दस्तावेजो की अनावश्यक छपाई को कम करने के लिए मुद्रण से पहले दस्तावेज का पूर्वावलोकन, डबल साइड प्रिंटिंग, लेआउट का अनुकूलन, मुद्रण का केंद्रीकरण आदि जैसी कुशल प्रथाओं को लागू किया जाय। पारम्परिक, कागज़ आधारित सामग्रियों की तुलना में ई-पुस्तकों और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के उपयोग को बढ़ावा एवं संचार और दस्तावेजीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। परन्तु कागज के उपयोग को कम करने का प्रयास करते समय यदि कागज के उपयोग की कोई वैधानिक आवश्यकता है तो उसे समाप्त नहीं किया जाएगा।

ईंधन के अल्पीकरण के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया है कि परिवहन के लिए पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना, अभियानों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, चुनाव अधिकारियों और मतदाताओं द्वारा तय की गई कुल दूरी को कम करने के लिए मतदान स्थानों को समेकित करने के सुझाव दिये गये हैं। आयोग द्वारा सुझाव दिये गये हैं कि सुनिश्चित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही पर्यावरण-अनुकूल पहलों के बारे में मतदाताओं को जानकारी प्रदान की जाय।

चुनाव अभियानों और मतदाता शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों और सोशल मीडिया के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाय। वर्चुअल टाउन हॉल और ऑनलाइन चर्चा को बढ़ावा देकर भौतिक साइनेज और बैनरों पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ उम्मीदवारों को पारम्परिक डाकों के बजाय डिजिटल संवाद पत्र और ईमेल अपडेट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग में भी पुस्तकों/सामग्रियों की छपाई के व्यापक मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ताकि पर्यावरण अनुकूल चुनाव के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

मतदान प्रतिशत में इज़ाफे के लिए जारी है डीएम का भगीरथ प्रयास

- मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर आमजन से कर रहीं हैं मतदान की अपील

डेली न्यूज नेटवर्क

बहराइच। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतदान में शत-प्रतिशत मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित कराने तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में अवस्थित मतदान केन्द्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनज़र जिलाधिकारी मोनिका रानी निरन्तर भ्रमणशील रहकर मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ ग्रामवासियों से रूबरू होकर विगत निर्वाचन में कम मतदान प्रतिशत के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रही हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने तहसील नानपारा अन्तर्गत मतदान केन्द्र उच्च प्राथमिक विद्यालय हाड़ाबसेहरी व नानपारा खास का निरीक्षण कर मतदान केन्द्रों पर सामान्य सूचनाओं एवं टोल फ्री नम्बर 1950 का अंकन, विद्युत कनेक्शन, लाईट व पंखों की उपलब्धता, मतदेय स्थल पर शौचालय, जलापूर्ति की स्थिति, मतदेय स्थल पर शुद्ध पेयजल, स्थापित हैण्डपम्प की क्रियाशीलता, मतदेय स्थल/विद्यालय की साफ-सफाई, रैम्प, मतदान केन्द्र पर नेटवर्क की उपलब्धता, कन्ट्रोल रूम का नम्बर, फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र वितरण, रूट चार्ट तथा कम्यूनिकेशन प्लान में दर्ज मोबाइल नम्बरों का सत्यापन भी किया। डीएम ने उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि कम मतदान के कारकों का तत्काल समाधान कराते हुए मतदान केन्द्रों पर आयोग की मंशानुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। डीएम ने कोटेदार, रसोईयां, रोजगार सेवक, अध्यापक, सचिव, लेखपाल, आंगनबाड़ी, आशा से वार्ता करते हुए निर्देश दिया कि ग्रामवासियों को मतदान के लिए प्रेरित करें।

मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान डीएम ने मौजूद लोगों को मतदाता शपथ दिलाते हुए आहवान किया कि मतदान के दिन निर्भय होकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। डीएम ने लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति शराब, रिश्वत या ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी के पक्ष में अथवा विरोध में वोट डालने का प्रयास करता है तो इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से अवश्य करें। डीएम ने लोगों से कहा कि मतदान दिवस के दिन परिवार के बुजुर्ग इस बात का प्रयास करे कि परिवार के सभी सदस्य वोट देने जायें, यदि परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो परिवार के लोगों को चाहिए कि मतदान के लिए जाते समय उनकों भी अपने साथ ले जायें। डीएम मोनिका रानी ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिया की शत-प्रतिशत मतदाताओं को ईपिक उपलब्ध कराये जाने हेतु मतदाता पहचान पत्र वितरण कार्य की डाकियावार समीक्षा की जाय। समीक्षा में यदि डाकिया की शिथिलता पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध सक्षम अधिकारी को पत्र प्रेषित करें। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी नानपारा अश्वनी पाण्डेय, तहसीलदार अजय यादव, खण्ड विकास अधिकारी बलहा संदीप त्रिपाठी, खण्ड शिक्षा अधिकारी बलहा विभा सचान सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ....दै० डेली न्यूज, लखनऊ.... दिनांक 29 MAR 2024

मतदान से दो-तीन दिन पहले मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा

दिव्यांगों, कर्मचारियों और बुजुर्गों को होगी सहूलियत

डेली न्यूज नेटवर्क

बाराबंकी। जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने स्थानीय कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र के सम्बंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में ड्यूटी पर आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों को पोस्टल

- **जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने दी जानकारी**

बैलट की सुविधा मतदान के दिनांक से दो-तीन दिन पूर्व दी जायेगी। इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि, आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोग मतदान से वंचित न रह जाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। जिला

मजिस्ट्रेट ने बताया कि, पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, संचार, फायर सर्विस, ऊर्जा आदि विभागों के कर्मचारियों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पृथक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि, यहां मतदान की तारीख से दो-तीन दिन पूर्व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि, वे अपने-अपने विभागों के उन कर्मचारियों के लिए फार्म 12 डी अथवा अन्य सम्बंधित फार्म निर्धारित समय पर प्राप्त करें। सम्बंधित कर्मचारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि, यह हम सबका दायित्व है कि, ड्यूटी पर तैनात कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित न रहने पाये। बिजली विभाग में कार्यरत लाइनमैन आदि, रेलवे कर्मचारी, रोडवेज के ड्राइवर, कंडक्टर, नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तथा इसी प्रकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों को जो मतदान के दिन ड्यूटी करेंगे, उनको डाक मत पत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बताया कि, इसके अलावा दिव्यांगजन, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है या उनके आवागमन में कठिनाई है तो ऐसी दशा में उनको भी सम्बंधित बीएलओ के जरिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 85 वर्ष से अधिक के वह बुजुर्ग जो मतदान केंद्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं, उनको भी बीएलओ के माध्यम से पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि, मतदान के दिनांक से पूर्व इस सुविधा की सूचना नियत समय पर दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि, दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार सिंह के अलावा जनपद के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष शामिल रहे।

समाचार पत्र का नाम दै० आज, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंची कमिश्नर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

लखनऊ। गुरुवार को आयुक्त डॉ रोशन जैकब एसडीएम कार्तिकेय सिंह, सीओ पहिया के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंची, जहां उन्होंने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), कस्टम एवं पुलिस कवच सेल के जिम्मेदार अफसरो के साथ स्थलीय भ्रमण किया और लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतते हुए निगरानी करने के निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त ने जांच एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक बैठक की। सीमा पर सुरक्षा को लेकर जांच करने पगडंडियों पर निगरानी सहित स्थानीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को शान्तिपूर्ण कराने के लिए लखनऊ मंडायुक्त सक्रिय हैं। जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत मंडायुक्त लखनऊ डॉ रोशन जैकब तहसील पलिया के दूरस्थ मतदान केन्द्र प्राथमिक विद्यालय गौरीफंटा पहुंचा इसके साथ ही मंडायुक्त ग्राम सरियापारा, ग्राम सूडा के मतदेय स्थलों पर भी पुहंच कर केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने मतदाताओं के बीच स्वयं मतदाता सूची में लिखे नामों को पढ़कर सुनाया तथा ग्रामवासियों से पढ़े गये नामों के बारे में जानकारी प्राप्त की। बूथ लेबिल अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम से बाहर रह रहे मतदाताओं के मोबाइल नम्बर पर एसएमएस भेजकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाय। आयुक्त ने गौरीफंटा थाना क्षेत्र के ग्राम सरियापारा, ग्राम सूडा के मतदेय स्थलों के निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद कर मतदान दिवस (13 मई) को शत प्रतिशत मतदान का संकल्प दिलाया। इसके बाद उन्होंने चंदन चौकी बॉर्डर पर सब पुलिस राजस्व टीम के साथ फॉरेस्ट एरिया में पैदल मार्च किया कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान मतदान केन्द्रों पर सामान्य सूचनाओं एवं टोल फ्री नम्बर 1950 का अंकन, विद्युत कनेक्शन, लाईट व पंखों की उपलब्धता, मतदेय स्थल पर शौचालय, जलापूर्ति की स्थिति, मतदेय स्थल पर शुद्ध पेयजल, स्थापित हैण्डपम्प की क्रियाशीलता, मतदेय स्थल विद्यालय की साफ-सफाई, रैम्प, मतदान केन्द्र पर नेटवर्क की उपलब्धता, कन्ट्रोल रूम का नम्बर, फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र वितरण, रूट चार्ट तथा कम्यूनिकेशन प्लान में दर्ज मोबाइल नम्बरों का सत्यापन भी किया। आयुक्त डॉ रोशन जैकब ने एसडीएम कार्तिकेय सिंह को निर्देश दिया कि कम मतदान के कारकों का तत्काल समाधान कराते हुए मतदान केन्द्रों पर आयोग की मंशानुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ दिनांक 29 MAR 2024

दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू, मतदान 26 अप्रैल को

लोस सीट	भाजपा	सपा	कांग्रेस	बसपा/ अन्य
1-अमरोहा	कंवर सिंह तंवर	-----	दानिश अली	मुजाहिद हुसैन
2- मेरठ	अरुण गोविल	भानु प्रताप सिंह	----	देवव्रत त्यागी
3-बागपत	राजकुमार (रालोद)	मनोज चौधरी	----	प्रवीण सिंह बैसला
4-गाजियाबाद	अतुल गर्ग	------	डाली शर्मा	------
5-गौतमबुद्ध नगर	महेश शर्मा	महेंद्र नागर	----	राजेन्द्र सिंह सोलंकी
6- बुलन्दशहर	भोला सिंह	------	शिवराम बाल्मीकि	गिरीश जाटव
7- अलीगढ़	सतीश गौतम	चौ. विजेन्द्र सिंह	-----	------
8- मथुरा	हेमा मालिनी	-------	------	उपमन्यु

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 29 MAR 2024

निर्वाचन प्रक्रिया में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से बचें : एडीएम

ललितपुर, 28 मार्च (तरूणमित्र)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निदेर्शानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिलाधिकारी विकास एवं राजस्व अंकुर श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पुस्तकों /सामग्रियों की छपाई के लिए इन्वायरमेन्ट सस्टेनेबिलिटी (पर्यावरण स्थिरता) और व्यापक मापदंडो के प्रति भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ-साथ अधिकारियों को पर्यावरण - मुक्त चुनाव की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गयी है। उन्होंने बताया कि सीईओ /डीईओ द्वारा संदर्भ/ उपयोग के लिए रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अंतर्गत आज के

विश्व में पर्यावरण संबंधी चिंताएं अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं, निर्वाचन आयोग भी चुनाव में गैर-जैव निम्नीकरणीय सामग्रियों के उपयोग के कारण होने वाले पर्यावरणीय खतरों के मुद्दे पर बहुत चिंतित है। इस संबंध में आयोग राजनीतिक दलों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पर्यावरण अनुकूल चुनाव की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए सलाह जारी की है। परिपत्र सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को प्रसारित किया गया है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 29 MAR 2024

डीईओ ने किया निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण

बदायूँ, 28 मार्च (तरुणमित्र)। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने जिला निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया व आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद के मतदाताओं से मतदान दिवस 07 मई को निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की।

जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने निर्वाचन कार्यालय के निरीक्षण के दौरान वहां उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मतदान कार्मिकों व ईवीएम प्रशिक्षण, मतदान केंद्रों पर एश्योर्ड मिनिमम फैसेलिटीज के होने, रैंडोमाइजेशन, आदर्श आचार संहिता, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति, वीडियो व्यूइंग टीम, लेखा व एमसीसी टीम आदि विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की व आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के मतदाताओं को अवगत कराते हुए बताया कि जनपद के मतदाता अपने मतदान केंद्र, बूथ आदि की जानकारी के लिए एनवीएसपी डॉट इन पोर्टल व वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही जिन जिन व्यक्तियों के अभी वोटर आईडी कार्ड नहीं बन पाए हैं वह भी आगामी 09 अप्रैल तक अपने वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें जिला निर्वाचन कार्यालय बदायूं या अपने तहसील क्षेत्र अंतर्गत मतदाता पंजीकरण केंद्र में संपर्क करना होगा या वह ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।उन्होंने निर्वाचन कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रलोभन देने वाले या डरा धमकाकर वोट डलवाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा ऐसे लोगों को चिन्हित कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में धारा 144 लागू है। इसलिए सभी राजनैतिक दल व अन्य संगठन उसी के अनुरूप अपने कार्यक्रम आयोजित कराएं तथा प्रत्येक कार्यक्रम की पूर्व अनुमति अवश्य लें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ..... दै0 तरूण मित्र ..... दिनांक 29 MAR 2024

मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण के दूसरे दिन डीईओ ने कक्षों का किया निरीक्षण

जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट व मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण सम्बन्धी दिये दिशा निर्देश

बरेली, 28 मार्च (तरूणमित्र)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु कार्मिकों का प्रशिक्षण राजकीय इण्टर कॉलेज में प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण पूर्व जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार ने जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटों (विधानसभा बरेली सिटी, बरेली कैंट व मीरगंज) तथा समस्त मास्टर ट्रेनर्स को निर्वाचन एवं प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये। इस अवसर पर बताया गया कि पोलिंग के दिन किसी भी मतदान केन्द्र पर कोई समस्या ना आये और पोलिंग बूथों की वेबकास्टिंग करायी जाये।

पोलिंग की पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ लें और अपने-अपने सेक्टर की जिम्मेदारी निभाये, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये तथा संवेदनशील बूथों का भ्रमण भी कर लें। समस्त कार्मिक प्रशिक्षण के समय ईवीएम के बारे में अच्छे ढंग से सीख लें और अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाते हुये निर्वाचन को निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न करायें तथा जो भी बुकलेट दी जाये उसका अध्ययन अच्छे से कर लें, जिससे निर्वाचन के दिन किसी प्रकार की समस्या ना हो।

प्रशिक्षण के समय सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन सम्पन्न करायें। मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षुओं की सभी समस्याओं का समाधान करते रहें।जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण कक्षों का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

प्रशिक्षण में अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये। प्रशिक्षण के समय मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष बहादुर सिंह, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट व मास्टर ट्रेनर्स सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .... दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 29 MAR 2024

मतदाता की पहचान को आयोग ने सुझाये 12 विकल्प

बहराइच, 28 मार्च (तरूणमित्र)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए होने वाले मतदान के दिन मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित किये गये 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारियों मंत्रालय भारत सरकार अन्तर्गत जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जायेगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ... दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 29 MAR 2024

मतदान प्रतिशत में इजाफे के लिए जारी है डीएम का भागीरथ प्रयास

बहराइच, 28 मार्च (तरूणमित्र)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतदान में शत-प्रतिशत मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित कराने तथा भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार जिले में अवस्थित मतदान केन्द्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनजर जिलाधिकारी मोनिका रानी निरन्तर भ्रमणशील रहकर मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ ग्रामवासियों से रूबरू होकर विगत निर्वाचन में कम मतदान प्रतिशत के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रही हैं।

इसी कड़ी में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने तहसील नानपारा

अन्तर्गत मतदान केन्द्र उच्च प्राथमिक विद्यालय हाड़ाबसेहरी व नानपारा खास का निरीक्षण कर मतदान केन्द्रों पर सामान्य सूचनाओं एवं टोल फ्री नम्बर 1950 का अंकन, विद्युत कनेक्शन, लाईट व पंखों की उपलब्धता, मतदेय स्थल पर शौचालय, जलापूर्ति की स्थिति, मतदेय स्थल पर शुद्ध पेयजल, स्थापित हैण्डपम्प की क्रियाशीलता, मतदेय स्थल/विद्यालय की साफ-सफाई, रैम्प, मतदान केन्द्र पर नेटवर्क की उपलब्धता, कन्ट्रोल रूम का नम्बर, फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र वितरण, रूट चार्ट तथा कम्यूनिकेशन प्लान में दर्ज मोबाइल नम्बरों का सत्यापन भी किया। डीएम ने उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास

❑ मतदान केन्द्रों का भ्रमण आमजन से कर रहीं हैं मतदान की अपील

अधिकारी को निर्देश दिया कि कम मतदान के कारकों का तत्काल समाधान कराते हुए मतदान केन्द्रों पर आयोग की मंशानुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। डीएम ने कोटेदार, रसोईयां, रोजगार सेवक, अध्यापक, सचिव, लेखपाल, आंगनबाड़ी, आशा से वार्ता करते हुए निर्देश दिया कि ग्रामवासियों को मतदान के लिए प्रेरित करें। मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान डीएम ने मौजूद लोगों को मतदाता शपथ दिलाते हुए आहवान किया कि मतदान के दिन निर्भय होकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। डीएम ने लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति शराब, रिश्वत या जोर जबरदस्ती करके किसी के पक्ष में अथवा विरोध में वोट डालने का प्रयास करता है तो इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से अवश्य करें। डीएम ने लोगों से कहा कि मतदान दिवस के दिन परिवार के बुजुर्ग इस बात का प्रयास करे कि परिवार के सभी सदस्य वोट देने जायें, यदि परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कि शारीरिक रूप से कमजोर है तो परिवार के लोगों को चाहिए कि मतदान के लिए जाते समय उनकों भी अपने साथ ले जायें। डीएम मोनिका रानी ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिया की शत-प्रतिशत मतदाताओं को ईपिक उपलब्ध कराये जाने हेतु मतदाता पहचान पत्र वितरण कार्य की डाकियावार समीक्षा की जाय।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .. दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 29 MAR 2024

डीईओ ने राजनैतिक दलों एवं मीडिया प्रतिनिधियों संग की बैठक

अलीगढ़, 28 मार्च (तरूणमित्र)। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राजनैतिक दलों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई। डीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को अधिसूचना जारी करने के साथ देश भर में निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। जिले में अलीगढ़ लोक सभा-15 के लिए गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर 04 अप्रैल तक प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन खरीदे एवं जमा किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र खरीद एवं जमा का कार्य एडीएम न्यायिक के न्यायालय कक्ष से संचालित होगा। स्क्रूटनी का कार्य 05 अप्रैल को 11 बजे से आरम्भ होकर कार्य समाप्ति तक किया जाएगा। 08 अप्रैल को 3 बजे तक नाम वापसी के साथ ही वैध प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा सामान्य वर्ग के लिए जमानत धनराशि 25000 रुपए एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 12500 रुपए निर्धारित की गई है। नामांकन फीस चार तरीकों कैश, ट्रेजरी चालान, आरबीआई या सुविधा एप पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले प्रत्याशियों को नामांकन फीस ऑनलाइन जमा किए जाने की सुविधा आयोग द्वारा प्रदान की गई है। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ 4 व्यक्ति एक बार में नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। डीईओ ने सी विजिल एप की जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में इस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, 100 मिनट में इस पर संज्ञान लिया जाता है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराना है। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान बल्नेंबिलिटी और क्रिटेकिलेबिटी को कम करने के लिए निरोधात्क कार्यों के साथ ही सीपीएमएफ, लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी, सीसीटीवी एव माइक्रो आब्जर्बर की तैनाती भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी, सीलिंग, कमिशनिंग एवं मतगणना का कार्य धनीपुर मण्डी से किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर राजनैतिक दलों को व्यय अनुदेशिका भी प्रदान की। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पत्रकार बन्धुओं द्वारा पूछेगये सवालों और उनकी जिज्ञासाओं का जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्णतः समाधान कराते हुए उन्होंने निर्वाचन संबंधी विभिन्न बारीकियों एवं तथ्यों के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज कुमार, संबंधित अधिकारी एवं बीजेपी से उदयवीर सिंह लोधी, कांग्रेस से नदीम गफूर समेत अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं पत्रकार बन्धु उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ..... दै० तरूण मित्र .... दिनांक 29 MAR 2024

इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंचीं कमिश्नर, सतर्कता के निर्देश

लखनऊ, 28 मार्च (तरुणमित्र)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग.से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से गुरुवार को मंडलायुक्त डॉ. रौशन जैकब खीरी पहुंचीं। उन्होंने तहसील पलिया के दूरस्थ मतदान केन्द्र प्राथमिक विद्यालय गौरीफंटा सहित ग्राम सरियापारा, ग्राम सूडा के मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया।

मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने मतदाताओं के बीच स्वयं मतदाता सूची में लिखे नामों को पढ़कर सुनाया तथा ग्रामवासियों से पढ़े गये नामों के बारे में जानकारी प्राप्त की। बूथ लेबिल अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम से बाहर रह रहे मतदाताओं के मोबाइल नम्बर पर एसएमएस भेजकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाय। आयुक्त ने गौरीफंटा थाना क्षेत्र के ग्राम सरियापारा, ग्राम सूडा के मतदेय स्थलों के निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद कर मतदान दिवस (13 मई) को शत प्रतिशत मतदान का संकल्प दिलाया।

इसके बाद उन्होंने चंदन चौकी बॉर्डर पर सब पुलिस राजस्व टीम के साथ फॉरेस्ट एरिया में पैदल मार्च किया। उन्होंने टोल फ्री नम्बर 1950 का अंकन, विद्युत कनेक्शन, लाईट व पंखों की उपलब्धता, मतदेय स्थल पर शौचालय, जलापूर्ति की स्थिति, मतदेय स्थल पर शुद्ध पेयजल, स्थापित हैण्डपम्प की क्रियाशीलता, मतदेय स्थल/विद्यालय की साफ-सफाई, रैम्प, मतदान केन्द्र पर नेटवर्क की उपलब्धता, कन्ट्रोल रूम का नम्बर, फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र वितरण, रूट चार्ट तथा कम्यूनिकेशन प्लान में दर्ज मोबाइल नम्बरों का सत्यापन भी किया।

वो एसडीएम कार्तिकिय सिंह, सीओ पहिया के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंची, जहां उन्होंने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), कस्टम एवं पुलिस कवच सेल के जिम्मेदार अफसरों संग स्थलीय भ्रमण किया और लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतते हुए निगरानी करने के निर्देश दिए। सीमा पर सुरक्षा को लेकर जांच करने पगडंडियों पर निगरानी सहित स्थानीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .... दै0 तरूण मित्र ... दिनांक ... 29 MAR 2024

घर घर मतदाता पर्ची पहुंचाने को जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश

अंबेडकरनगर, 28 मार्च (तरूणमित्र)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सदरपुर टांडा अंबेडकर नगर के ऑडिटोरियम हाल में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कटेहरी के बीएलओ/सुपरवाइजर एवं समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बीएलओ /सुपरवाइजर एवं समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तैयारियो के बारे में पूछा गया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दिनांक से पूर्व घर-घर मतदाता पर्ची पहुंचाने हेतु बीएलओ/सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान समस्त बीएलओ को अवगत कराया गया कि 26 अप्रैल 2024 तक फॉर्म 6 प्राप्त किया जा सकते है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बीएलओ /सुपरवाइजर तथा समस्त सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिए गए निदेशों का अक्षरसःपालन सुनिश्चित करें इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए अन्यथा की दशा में कड़ी से कड़ी कार्रवाई तय की जाएगी। बैठक के दौरान 425 बीएलओ में से 16 बीएलओ अनुपस्थित पाए गए जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इनका एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सी विजिल ऐप के माध्यम से केवल मौके की फोटो व वीडियो ,आडियो लगाई जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो कोई भी व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकता है शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा यदि शिकायत सही मिलती है तो 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .... दै0 तरूण मित्र ..... दिनांक 29 MAR 2024

मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण केंद्र का किया गया निरीक्षण

बिजनौर, 28 मार्च (तरूणमित्र)। सामान्य प्रेक्षक, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 04-बिजनौर राहुल कुमार जैन द्वारा सूचना भवन स्थित मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण केंद्र का विस्तृत रूप से औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप सुचारू रूप से संचालित पाई गईं।उन्होंने निर्देश दिए कि न्यूज चैनल लोकल न्यूज चैनल पर यदि विज्ञापन का प्रसारण होता हुआ पाया जाए, तो तत्काल उसको नोट करते हुए उसके मूल्य का आंकलन कर उसका विवरण प्रभारी व्यय निर्वाचन उपलब्ध कराएं ताकि संबंधित प्रत्याशी के व्यय खाते में उसे जोड़ा जा सके।

सोशल मीडिया सेल निरीक्षण करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि नामांकन कराने वाले सभी प्रत्याशियों का सोशल अकाउंट प्राप्त कर उन्हें फॉलो करें और उनकी गतिविधियों पर गहरी निगाह रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला बिजनौर से प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले सभी समाचार पत्रों का सघन रूप से निरीक्षण करते हुए पैड न्यूज पर विशेष रूप से ध्यान दें, यदि किसी समाचार पत्र में पैड न्यूज का प्रकाशित होना संज्ञानित होता है, तो तत्काल उक्त संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। प्रेक्षक द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों एवं विज्ञापनों के साथ-साथ सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बारीकी से अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिदिन प्रेषित जाने वाली प्रेस क्लिपिंग्स पत्रावली तथा विज्ञापन पत्रावली का निरीक्षण करते हुए दैनिक रिपोर्टिंग पर संतोष व्यक्त किया।

इस अवसर पर प्रभारी एमसीएमसी/अपर जिलाधिकारी वि0रा0 अरविन्द कुमार सिंह, सहा0 प्रभारी एमसीएमसी/उपजिलाधिकारी न्यायिक जयेन्द्र सिंह, प्रिन्ट मीडिया पर्यवेक्षक/ अपर सांखियकीय अधिकारी वरूण कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं केन्द्र कर्मचारी उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम . दै० तरूण मित्र .... दिनांक 29 MAR 2024

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सी-विजिल एप पर करें शिकायत

बरेली, 28 मार्च (तरूणमित्र)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान में चल रहे लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं अन्य विभिन्न प्रकार की शिकायत करने तथा उसके निस्तारण हेतु ऑनलाइन सी-विजिल एप विकसित किया गया है। उक्त एप पर चुनाव सम्बन्धी शिकायतों को किसी भी व्यक्ति द्वारा अपलोड किया जा सकता है। सी-विजिल एप का प्रयोग करने हेतु स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी के माध्यम से ऐप में लॉगिन कर शिकायत दर्ज की जा सकती है। सी-विजिल एप एक जी.आई.एस. आधारित एप है जिसमें साक्ष्य के तौर पर केवल लाइव फोटो, वीडियो, ऑडियो ही अपलोड किया जा सकता है। शिकायत अपलोड होने के उपरान्त 100 मिनट के अन्तर्गत ही शिकायत का निस्तारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उसी एप के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। निस्तारण के पश्चात विवरण शिकायतकर्ता के सी-विजिल एप पर स्वतः उपलब्ध हो जायेगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में ऑनलाइन शिकायत हेतु आयोग द्वारा विकसित सी-विजिल एप का प्रयोग आमजन द्वारा किया जा सकता है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .... दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 29 MAR 2024

डीएम की मौजूदगी में कंट्रोल रुम व वोटर हेल्पलाइन के नम्बर जारी

सुलतानपुर, 28 मार्च (तरुणमित्र)। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता व उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गौरव शुक्ला, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/ नोडल निर्वाचन शिकायत प्रकोष्ठ एस0 सुधाकरन सहित सहायक नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सकुशल, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन शिकायत प्रकोष्ठ, प्रेक्षक व्यवस्था, निर्वाचन कंट्रोल रूम एवं शिकायतों का निस्तारण तथा वोटर हेल्पलाइन व्यवस्था आदि की तैयारियों के सम्बन्ध में प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी की अनुमति से अपर जिलाधिकारी (वि0/र0)/ नोडल अधिकारी (निर्वाचन शिकायत प्रकोष्ठ, प्रेक्षक व्यवस्था, निर्वाचन कंट्रोल रूम एवं शिकायतों का निस्तारण तथा वोटर हेल्पलाइन व्यवस्था) द्वारा तैयारियों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया।

उन्होंने अवगत कराया कि निर्वाचन शिकायत प्रकोष्ठ का गठन कर लिया गया। सभी सम्बन्धित की ड्यूटी लगायी जा चुकी है। उन्होंने अवगत कराया कि निर्वाचन सम्बन्धी शिकायतों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने प्रेक्षक व्यवस्था की तैयारियों की सम्बन्ध में अवगत कराया कि सभी प्रेक्षकों को उपलब्ध करायी जानी वाली सभी आधारभूत सुविधाओं जैसे-कम्प्यूटर, प्रिन्टर, मोबाइल नम्बर, रूकने की व्यवस्था, लाइजन ऑफिसर की नियुक्ति, उपलब्ध करायी जाने वाली सूचनाओं का संग्रह, वाहन, आदि सब सुनिश्चित कर ली गयी है। उन्होंने अवगत कराया कि सभी के साथ अलग से एक बैठक भी कर ली गयी है।

उन्होंने अवगत कराया कि निर्वाचन कंट्रोल रूम एवं शिकायत का निस्तारण तथा वोटर हेल्प लाइन व्यवस्था सम्बन्धित सभी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर ली गयी हैं तथा सभी क्रियाशील हैं। उन्होंने अवगत कराया कि निर्वाचन कंट्रोल रूम की स्थापना कर ली गई है, जिसका दूरभाष नम्बर 05362-221002, 221003, 221004, 221005, 221006 तथा वोटर हेल्प लाइन नंबर 1950 है।